खण्ड-402, अंक-4
शुक्रवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1913
(2 अगस्त, 1991 ई0)

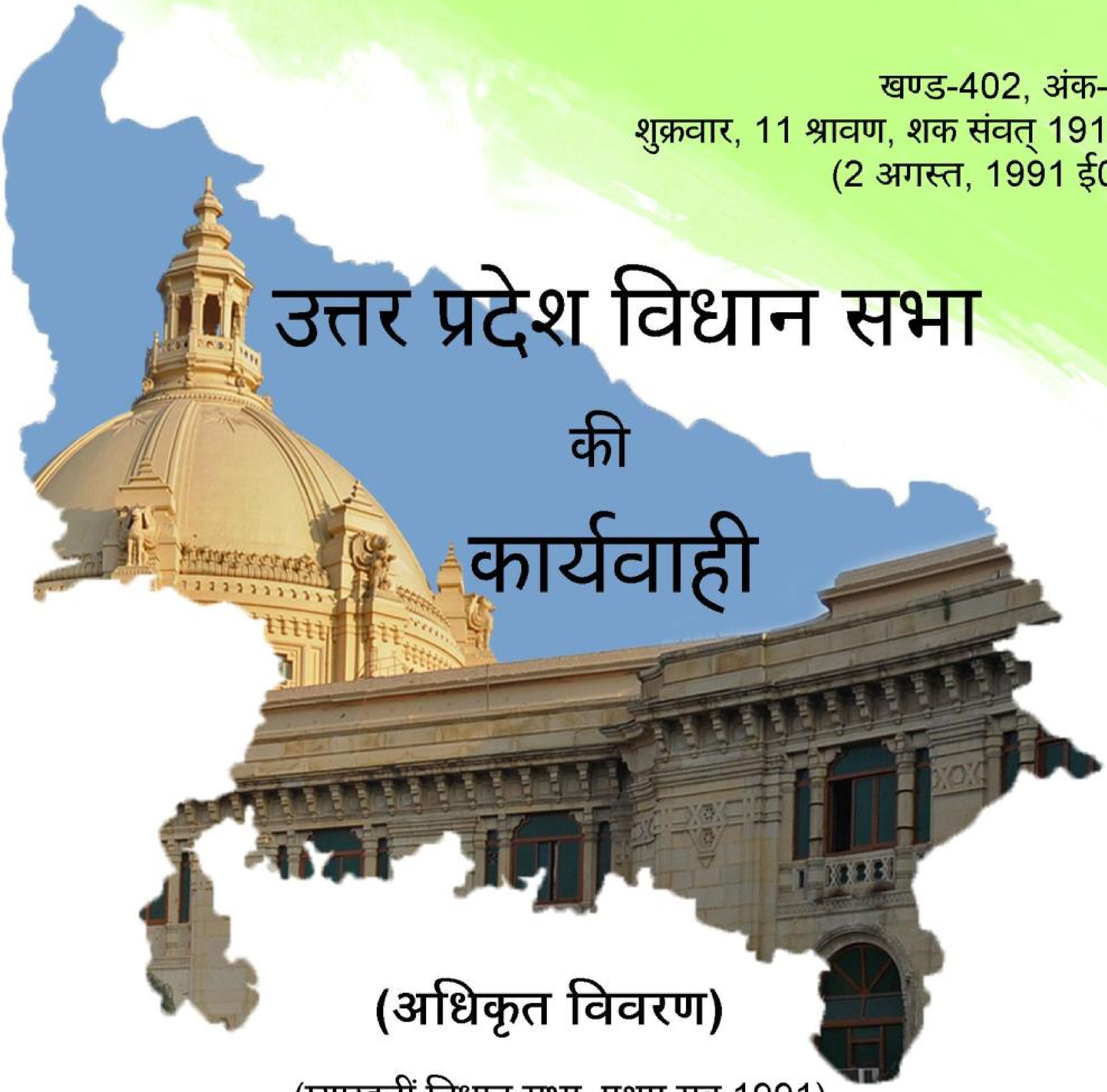

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 402 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
पीलीभीत हत्याकाण्ड, किसानों पर अत्याचार तथा अयोध्या विवाद आदि प्रदेश की गम्भी समस्याओं को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1
राजकीय मुद्रणालय में बिजली की आपूर्ति नियमित किये जाने तथा कार्यसूची आदि आवश्यक पत्रादि समय से प्रकाशित किये जाने हेतु शासन को श्री अध्यक्ष का निर्देश	1
विधान सभा के सदस्य श्री अतीक अहमद एवं श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) को सदस्यता की शपथ लेकर सदन में बैठने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश	2
प्रश्नोत्तर	
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं ..	17
जनपद गाजीपुर के अलावलपुर, बरेसर, सिराईपुर मार्ग के अधूरे पक्के पिच रोड को पूरा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	18
ग्राम तेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के श्री ब्रजलाल कुशवाहा की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अनतर्गत सूचना ..	19
क्षेत्र समिति की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग न लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	19
जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा कैनाल व शाहजहांपुर ब्रांच पटना माइनर रजबहा ग्राम पटना और रामपुरा परबीन बीच नहर कट जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन क्षेत्र के सुहेली नदी में बाढ़ आ जाने से भारी क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	19
आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	20
देवरिया जिलान्तर्गत मदनपुर के थानाध्यक्ष द्वारा आम जनता को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	20
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (जारी) ..	21
विधायकों से शैडो एवं गनर वापस ले लिये जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी) ..	21
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	22

विषय-सूची

विषय **पृष्ठ संख्या**

(ख)

विधायकों से शैडो एवं गनर वापस ले लिये जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 22

श्री राम प्रसाद सदस्य विधान सभा को जेल से रिहा किये जाने हेतु शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी उन्हें रिहा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 26

मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह एवं उनके मंत्रि-परिषद द्वारा शपथ ग्रहण के पश्चात अयोध्या जाकर धर्मोन्मादी आचरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 29

विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि की सूचना .. 42

विधान सभा की विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना 42

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्य करने हेतु विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 43

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 44

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित) 44

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 (पुरःस्थापित) 44

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 45

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही रोक कर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग .. 51

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जारी .. 57

नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं 57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कृष्ण स्वरूप, श्री	बदायूं
ठाकुर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
बाबूराम एम0काम0, श्री	जालौन
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मस्तराम, श्री	उन्नाव
रमाकन्त यादव, श्री	आजमगढ़
राम कुमार, श्री	खीरी
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुधीर कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
हरपाल, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

पीलीभीत हत्याकाण्ड, किसानों पर अत्याचार तथा अयोध्या विवाद आदि प्रदेश की गम्भीर समस्याओं को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर विरोध पक्ष के सभी सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम लखन-

मान्यवर, यह जो पीलीभीत हत्याकाण्ड हुआ है वह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है । मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अंतर्गत एक प्रस्ताव आपको दिया था वह प्रस्ताव है कि इस सरकार ने शपथ लेने के तुरन्त ही बाद अयोध्या में जाकर जो धर्मोन्माद का वातावरण पैदा किया है उससे काफी असर, पड़ा है .....

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी सम्मानित सदस्यों की भावना से अवगत हो गया हूं । अनेक लोगों ने लिखित सूचना नियमों के अंतर्गत दी है । मेरा आपसे इतना निवेदन है कि वह सब कार्यसूची के अनुसार किसी न किसी क्रम पर अवश्य लिया जायेगा ।

(इस पर विरोध पक्ष के अनेक सदस्य फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि " किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी", "जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है " "पीलीभीत हत्याकाण्ड की सरकार नहीं चलेगी- नहीं चलेगी ")

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी गयी । 11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि, श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

राजकीय मुद्रणालय में बिजली की आपूर्ति नियमित किये जाने तथा कार्यसूची आदि आवश्यक पत्रादि समय से प्रकाशित किये जाने हेतु शासन को श्री अध्यक्ष का निर्देश

(सदन की बैठक पुनः आरम्भ होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मुझे खेद है कि विधान सभा की कार्यसूची में जो आज बिलम्ब हुआ तो इसके विलम्ब से छपने के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि राजकीय मुद्रणालय में.....

(श्री राम लखन के खड़े होकर बार-बार बोलने के प्रयास करने पर)

पहले आप मेरी सूचना को सुन लें । सदन को एक व्यवस्थित ढंग से चलने दीजिये । मैंने कार्य सूची देर से छपने के बारे में सूचना प्राप्त की थी तो ज्ञात हुआ कि राजकीय मुद्रणालय में रात्रि में 1.30 बजे और फिर प्रातः 9.00 से बिजली की आपूर्ति में कमी हो गयी थी, इसलिये सदस्यों को कार्यसूची समय से नहीं मिल सकी । मैं इस संबंध में शासन को निर्देश दे रहा हूं कि भविष्य में राजकीय प्रेस में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि कार्यसूची और जो सदन से संबंधित पत्रादि प्रेस में छपने हों, वह समय से प्रकाशित हो सकें ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ)-

मान्यवर, यह सरकार फेल हो गयी या बिजली फेल हो गयी ?

श्री अध्यक्ष-

बिजली फेल हो गयी ।

श्री राम आसरे वर्मा-

लगता है कि यह सरकार करेन्टलेस है, कोई पावर नहीं है ।

विधान सभा के सदस्य श्री अतीक अहमद एवं श्री वीरेन्द्र सिंह को सदस्यता की शपथ लेकर सदन में बैठने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री अतीक अहमद ने और श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फर नगर) ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन-नियमावली के नियम (5) के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता की शपथ नहीं ग्रहण की है । यदि दोनों सदस्य सदन में उपस्थित हों तो कृपया बाहर चले जायं और शपथ लेने के बाद सदन में उपस्थित हों ।

प्रश्नोत्तर

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा, उपलब्ध विद्युत का अधिकतम लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु बितरण-व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास

**1.-श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नई सरकार विद्युत दरों को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? क्या नई सरकार ने उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पूर्व सरकार के समय की बसंत कमेटी की संस्तुतियों का अध्ययन किया है ? यदि हां, तो सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने, विद्युत उत्पादन का पूरा-पूरा लाभ शत-प्रतिशत वितरण करके, जनता को पहुंचाने के सम्बन्ध में नई सरकार की कार्य योजना क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रवि कान्त गर्ग)-

वर्तमान में विद्युत दरों के बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बसंत कमेटी की रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्तमान टैरिफ से सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उपलब्ध विद्युत का अधिक से अधिक लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु लाइन हानियों को कम करने के लिये अन्य उपायों के अतिरिक्त उपभोक्ता परिसरों पर सुनियोजित ढंग से छापे डालने के कार्य में तेजी तथा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या नई सरकार ने उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में बसंत कमेटी की संस्तुतियों का अध्ययन किया है ? यदि हां, तो फिर जो सरकार ने उत्तर दिया है कि " प्रश्न नहीं उठता " तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ये यह जानना चाहता हूं कि यदि बसंत कमेटी की संस्तुतियों का अध्ययन किया है तो ऐसा उत्तर नहीं आना चाहिये । अध्ययन करने का प्रश्न नहीं उठता तो अध्ययन करने का प्रश्न उठना चाहिये । दूसरा उत्तर जो दिया है कि उपलब्ध विद्युत का अधिक से अधिक लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु लाईन हानियों को कम करने के लिये अन्य उपायों के अतिरिक्त उपभोक्ता परिसरों पर सुनियोजित ढंग से छापे डालने के कार्य में तेजी तथा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं । लाइन लासेज के नाम पर जो विद्युत चोरी होती है.....

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

लाइन लासेज के नाम पर जो चोरी होती है, उसका प्रतिशत क्या है और जो अन्य उपायों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया वह क्या है ?

श्री रवि कान्त गर्ग-

मान्यवर, जहां तक उपाय की बात है, मैंने कहा कि यह शासन के विचाराधीन है और जहां तक लाइन लासेज का प्रश्न है, इसका कारण यह है कि.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लाइन लासेज का प्रतिशत बता दें ।

श्री रवि कान्त गर्ग-

मान्यवर, वर्तमान लाइन लासेज का प्रतिशत लगभग 25 है । मैं बताना चाहता हूं कि लाइन लासेज को कम करने के लिये निम्न प्रयास किये जा रहे हैं, कम से कम एल0टी0 लाइनों वाली वितरण व्यवस्था में कैपिसिटर्स का लगाया जाना, शहरी एवं ग्रामीण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु योजनायें, उच्च एवं अति उच्च पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा की खपत का विश्लेषण, क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की चेकिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है, उपभोक्ता परिसरों पर पुलिस दल तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के छापे ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पढ़ नहीं पा रहे हैं । इनको हिन्दी का भी ज्ञान नहीं है ।

(व्यवधान)

क्या यह सरकारी भाषा में पढ़ रहे हैं ?

श्री बंशीधर राज-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी जब प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने "निम्नलिखित" शब्द का प्रयोग किया है, इसके माने हैं कि वह अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये उत्तर को पढ़ रहे थे, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि लाइन लासेज कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, तो उत्तर में आया है कि कई उपाय किये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कई उपाय कौन-कौन हैं ? इसका उत्तर आप साफ-साफ दिलवायें । माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उनको हिन्दी का भी ज्ञान कम है ।

श्री रवि कान्त गर्ग-

उनको वो मैंने अभी बता दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, बसंत कमेटी ने जो अनुशंसायें की हैं, उनमें प्रमुख-प्रमुख क्या हैं ? जो बिजली की लाइन में चोरी हो जाती है, उसको समाप्त करने की शासन की ओर से कोई व्यवस्था है या नहीं है ।

श्री रवि कान्त गर्ग-

मैंने अभी पूर्व में कहा है कि जो बसंत कमेटी है, उसकी जो रिपोर्ट है वह शासन के विचाराधीन है और जब विचार हो जायेगा, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैंने तो एक पूछा था कि बसंत कमेटी ने जो अनुशंसायें की हैं, उनमें से प्रमुख-प्रमुख क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष-

उनका प्रश्न है कि बसंत कमेटी की प्रमुख अनुशंसायें क्या हैं ?

श्री रविकांत गर्ग-

मान्यवर, बसंत कमेटी के द्वारा जो संस्तुतियां की गयी हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं एक तो वह है जिन पर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कार्यवाही की जानी है और कुछ पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

अनुसंशायें क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

उनका अनुपूरक प्रश्न यह है कि प्रमुख अनुसंशायें क्या हैं ? यदि इस समय जानकारी में हो तो सदन को बता दें यदि नहीं हैं तो सूचना के लिये समय ले लें।

श्री रवि कान्त गर्ग-

मान्यवर, जो संस्तुतियां बसंत कमेटी के द्वारा की गयी हैं उस संदर्भ में मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है, अनभिज्ञता के बारे में खेद प्रकट करना चाहिये ।

(व्यवधान)

कुवंर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं राज्य मंत्री ऊर्जा से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से मुद्दे बसंत कमेटी को संदर्भित किये गये थे और कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने विचार किया ? वह रिपोर्ट क्या है उसको सदन में बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

यह जो मूल प्रश्न है उसको व्यापक किया जा रहा है, यह जो प्रश्न है मूल प्रश्न से बाहर है । प्रश्न है राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में तो उसके संबंध में आप पूछें ।

कुवंर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जो पुनर्गठन के संबंध में विचार हो रहा है उस संबंध में बसंत कमेटी की क्या अनुसंशायें हैं जो लाइन लौस हो रहा है उसके रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं, उसके सुदृढ़ीकरण के लिये क्या किया जा रहा है ? जो रेड किये गये हैं वह गत एक महीने में कितने किये गये हैं ?

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, प्रश्न यह है कि बसंत कमेटी किस उद्देश्य से गठित की गयी । माननीय रेवती रमण सिंह जी को खुद इसकी जानकारी है कि किस तरह से विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाय ताकि दक्षता बढ़े । इस मामले को लेकर यह कमेटी गठित की गयी थी उसकी रिपोर्ट शासन के पास है, इसका अध्ययन किया जा रहा है लेकिन उसके कौन-कौन से बिन्दुओं पर विचार हुआ है, क्या रिपोर्ट है ? (व्यवधान) शांति से सुन लें उस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स हैं इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा-

माननीय गुप्ता जी घुमा फिरा कर उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आप सुनें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

सदन में यह बात आ गयी है कि बसंत कमेटी की रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है तो उसमें कौन-कौन सी अनुसंशायें की गयी हैं क्या प्रमुख बातें हैं वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

तो मान्यवर, इसे स्थगित कर दें ।

मेरा अनुरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । प्रश्न था बसंत कमेटी के संबंध में और मंत्री जी ने कहा कि सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । इसका मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाया है । इसलिये आप इसको स्थगित कर दें या नियम 49 के अन्तर्गत आधा घंटा की चर्चा स्वीकार करा दें चूंकि सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न है कि क्या बसंत कमेटी की संस्तुतियों का अध्ययन किया है ? इसका उत्तर आ गया है कि विचाराधीन है और अभी अध्ययन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिये इसको अब समाप्त करते हैं ।

(व्यवधान)

उ0प्र0 सरकार द्वारा राज्य में, वर्तमान बिक्री कर व्यवस्था को बदलने की जानकारी

**2- श्री राम गोविंद चौधरी, श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री मोहम्मद मकीम, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) तथा श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वर्तमान बिक्री कर व्यवस्था को बदलकर कोई नई व्यवस्था लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नई व्यवस्था की सम्पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)-

वर्तमान बिक्रीकर व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

उपरोक्त के प्रकाश में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में बिक्री कर की नई व्यवस्था लागू करने की स्पष्ट घोषणा किया था? यदि किया था तो उसको लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जहां तक बिक्री कर का ताल्लुक है इसकी जो वर्तमान प्रणाली है उससे उपभोक्ता और व्यापारी उसकी जटिलता के कारण सभी परेशान हैं । हम लोग इस मत के हैं कि बिक्री कर की वर्तमान प्रणाली को सरल बनाया जाये अर्थात् जटिलतायें दूर की जायं जिससे सभी को सुगमता हो चूंकि बिक्री कर राजस्व प्राप्त करने का सरकार का अच्छा संसाधन है । बिक्री कर देने में किसी को परेशानी नहीं है बल्कि परेशानी उसकी जटिलता के कारण है । इसलिये वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम उसकी विधिक जटिलताओं, प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं, कर प्राप्त करने संबंधी जटिलताओं और दरों में जो दूसरे राज्यों से विसंगतियां थीं, जिनकी व्यापारियों की दूर करने की मांग थी, उनको सबको युक्ति-युक्ति करने में हम प्रयासरत हैं ।

मान्यवर, दो-दो सरकारें आयीं और चली गयी लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर एक बिक्री-कर सलाहकार समिति पहले से गठित थी उसके संबंध में हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम उसकी बैठक करेंगे और 3 तारीख को उसकी मीटिंग होने वाली है, व्यापारियों, वकीलों और उपभोक्ताओं सभी को बुलाया है कि वे उपयोगी सुझाव लेकर आयें । इस प्रकार सरलीकरण की प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे, यह हमारी पार्टी का मत है । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि बिक्री कर एज सच इसको एकदम समाप्त करने का अभी तक शासन के समक्ष विचार नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, मैंने वित्त मंत्री जी का विस्तार से उत्तर सुना । मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि इन्होंने चुनाव में स्पष्ट घोषणा किया था कि सत्ता में आयेंगे तो बिक्रीकर की नई व्यवस्था लागू करेंगे और स्पष्ट कहा था कि इसको बिल्कुल समाप्त कर देगें । चुनाव में जनता ने आपको स्पष्ट बहुमत दे दिया और आप सरकार में आये और उसके बाद अपनी कही हुई बात से स्पष्ट मुकर रहे हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी स्पष्ट आप कोई तिथि सदन को बतायेंगे कि इस तिथि तक बिक्रीकर व्यवस्था समाप्त कर देगें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य बलिया का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को पढ़ने का प्रयास किया । लेकिन अफशोस है कि घोषणा पत्र को पढ़ने का प्रयास तो किया लेकिन जहां पर बिक्री कर के बारे में लिखा है उसको समझने में वह शायद चूक कर गए । हमने उसमें यही कहा है कि बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था में जो जटिलताएं हैं, उनको दूर करेंगे । यह भी कहा है, इनकी जटिलताओं को तो दूर करेंगे ही, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हमारी दरों की जो विसंगतियां हैं, उनको भी दूर करेंगे । जो मैं घोषणा पत्र पढ़ पाया हूं और जितनी भी चुनाव सभाओं में हमने भाषण दिया है उसमें कहीं समाप्त करने की बात नहीं हुई है। बिक्री कर को समाप्त करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।मैं फिर कहूंगा कि उस बिक्रीकर को प्राप्त करने में जो परेशानियां हैं, जटिलताएं हैं, उसका हम सरलीकरण करेंगे और इस बात पर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता और व्यापारी सभी सहमत भी हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमान्, यह तो हमें पहले ही पता था कि इनकी कथनी और करनी में फर्क होगा । उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में इसे स्पष्ट नहीं कहा

है तो अब दो प्रश्न हमारे, आदरणीय गुप्ता जी से हैं जैसा उन्होंने कहा श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में सेल्स-टैक्स पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनी थी, तो क्या उस कमेटी में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जो इनकी पार्टी के सांसद भी हैं श्री श्याम बिहारी मिश्र ने क्या बिक्री कर समाप्त करने के लिए अपना कोई ज्ञापन किया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगे थीं? और उत्तर प्रदेश की बिक्री कर की दरें पड़ोसी राज्यों दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से कितनी अधिक हैं ? और इनको उनके साथ बराबर करने की वह कब तक घोषणा करेंगें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

श्री मिश्र ने नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में कोई ज्ञापन दिया था, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है । जहां तक दूसरी बात कही है कि इन राज्यों में बिक्री कर की दरें क्या हैं, तो उनको मैं दिखवा रहा हूं और उस पर बड़ी गम्भीरता से हम विचार करेंगें .....

श्री नरेश अग्रवाल-

इन बातों का प्रदेश में बिक्री कर समाप्त करने से कुछ मतलब नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी मिश्र ने हमेशा एक ही बात कही है कि सेल्स टैक्स समाप्त किया जाए, यह समाप्त किया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष-

यह उनकी मांग रही होगी ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

जब मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो इस तरह जवाब देने से क्या लाभ होगा ? मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(इसके बाद श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैंने कहा इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं बिक्री कर के अधिकारियों के साथ कुछ विचार विमर्श हम इस बारे में कर रहे हैं । उसमें हमारे सहयोगी मित्र श्याम बिहारी मिश्र जी भी बैठे थे । उनके साथ इन्हीं बिन्दुओं पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री ऊदल-

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं ..(व्यवधान)..बिक्री कर में जो जटिलताएं हैं, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर दूसरे नम्बर के खाते तैयार किये जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बिक्री कर की चोरी होती है, तो क्या वह इस विषय पर भी विचार करेंगें कि ऐसे सरल नियम बनाएं जाएं, जिसमें व्यापारी फिर नम्बर दो का खाता न तैयार करें और वाजिब बिक्री कर सरकारी खजाने में जमा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

ऊदल जी हमारे वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने दो बातों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है । इस सम्बन्ध में मैं साफ घोषणा करना चाहता हूं कि जहां हम सरलीकरण के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि बिक्रीकर उत्तर प्रदेश में सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा साधन है, इस वर्ष इसका लक्ष्य हम और बढ़ा रहे है सरलीकरण भी अपनी जगह पर होगा । कर-वंचकों को किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं किया जायेगा । दूसरी बात जो श्री ऊदल जी ने कही तो ऐसा नहीं है कि उसे समाप्त किया जाय पर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उसका सरलीकरण कर दिया जाय जिससे उपभोक्ताओं व अन्य को परेशानी न हो ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं ।.....

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न से संबंधित सवाल पूछियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

मान्यवर, यह प्रश्न से ही संबंधित है, मान्यवर सदन के बाहर कुछ कहा जाय और सदन के अन्दर दूसरा जवाब आये तो यह तो वही बात हुई कथनी करनी में अन्तर । हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और । आप एक प्रश्न का जबाब दें कि भविष्य में बिक्रीकर समाप्त करेंगे की नहीं और जो आपका वायदा था । मेरे पास मान्यवर इनके चुनाव का घोषणा-पत्र है । इन्होने यह कहा था कि उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर समाप्त कर देंगे । बिक्रीकर समाप्त कर उत्पादन कर लगाने के बारे में आप कब तक विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, वैसे तो संसदीय शिष्टाचार के नाते किसी की नीयत पर शंका नहीं करनी चाहिए । मैं तो समझ रहा था कि आप इन्हें मना करेगें ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी से कहा था कि आप मूल प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न ही पूछेंगे । आप देखिये मूल प्रश्न यह है "क्या वित्त मंत्री बनाने की कृपा करेगें कि सरकार वर्तमान बिक्रीकर व्यवस्था को बदलकर कोई नई व्यवस्था लागू करने जा रही है यदि हां, तो क्या सरकार नई व्यवस्था की सम्पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?" और इसी संदर्भ में माननीय तिवारी जी का प्रश्न था ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न भी वही था जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उठाया था। माननीय गुप्त जी ने यहां से वहां तक की दूरी तय की है क्या पाया क्या छोड़ा । लेकिन यहां खड़े होकर साफ-साफ कहा था कि बिक्री कर को समाप्त करके उत्पादन शुल्क लगाया जाय । इनके चुनाव घोषणा पत्र में भी यह है । मेरा प्रश्न यह है कि बिक्रीकर को समाप्त करके उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, इनकी पार्टी का जो वादा था इनके घोषणा-पत्र में भी यह लिखा था । अब आप सरलीकरण की बात कह रहे हैं । उसको खत्म करने का जो वादा था उसमें क्या व्यवस्था है ? उसे समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय राणा जी, माननीय हरिशंकर तिवारी जी हम सब साथ-साथ बैठते रहे हैं । यह आज आपको चिन्ता हो रही है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जितनी चिन्ता इन्हें आज है इतनी शासन काल में रहती तो अच्छा होता । मान्यवर, बिक्री कर को समाप्त करने का मतलब होगा कि राजस्व का सबसे बड़ा विभाग हम खत्म कर दें लोगों को कच्चे माल पर, पक्के माल पर सब्सिडीयां हैं उसे ठीक करने का प्रयत्न करेगें । उत्पादन शुल्क जो होता है यह उत्पादन पर होता है । हम लोग सभी चीजें बाहर से लेकर खाते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सरलीकरण प्रक्रिया में इसको देखेंगे । जिस चीज को हम रखना चाहते हैं इसमें सबको भागीदार बनाकर सलाह होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने कहा कि बिक्रीकर समाप्त करने नहीं जा रहे हैं, ठीक हैं, लेकिन मैं माननीय गुप्ता जी से आपके माध्यम से कहना चाहता

हूं कि करवंचकों को कोई रियायत नहीं देना चाहिए-बिक्रीकर में दिक्कतें आती रही हैं अगर इन दिक्कतों को दूर किया जाए तो दो करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आपको प्राप्त हो सकता है । इन्फोर्समेंट सेल इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो सुझाव माननीय वर्मा जी ने दिए हैं । उन सब बातों पर हम विचार करेंगे ?

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की नगर पालिकाओं एवं टाउन एरियाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय

*1-श्री सुरेश प्रताप गांधी एवं श्री राम आसरे वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं एवं टाउन एरियाओं की जर्जर वित्तीय स्थिति में सुधार एवं सीमित संसाधनों के विस्तार हेतु शासन स्तर पर क्या कोई योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । आय के उपलब्ध स्रोतों का सही ढंग से उपयोग करके स्थानीय निकायें अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर सकती हैं ।

(नगर विकास मंत्री जी के उत्तर पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है । अब मैं नियम-301 की सूचनायें लेता हूं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मेरा एक अनुपूरक प्रश्न सुन लें । नगर पालिकाओं की आय आक्ट्रॉय से होती थी । तो नगर पालिका के अधिकारी, पदाधिकारी और प्रशासक जो हैं-.....

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है इसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, एक सवाल मैं करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश में (वर्ष 1990-91में) ऋण माफी योजना से लाभान्वित किसानों का विवरण

*2-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली जनता दल सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश के किसानों पर 10 हजार रुपये का ऋण माफ किया गया ? क्या यह सत्य है कि ऋण माफी की इस योजना में 50 प्रतिशत योगदान प्रदेश सरकार का था तथा 50 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार का था ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में किसानों का कितने करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया था तथा उसमें कितना-कितना अंशदान दोनों सरकारों का रहा ? इस योजना में प्रदेश के कितने किसानों को लाभ मिला ?

नोट:-नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पश्चात् प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया ।

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1990-91 में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 645.22 करोड़ रुपयों का ऋण माफ किया गया जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 322.61 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार का अंशदान 322.61 करोड़ रुपये रहा ।

इस योजना से प्रदेश के 36,64,272 ऋणी सदस्य लाभान्वित हुए ।

*3-श्री राम आसरे वर्मा-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

*4-श्री हरिबंश सहाय-

(तीसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात, अशंकालिक चिकित्सकों के विनियमितीकरण की मांग

*5-श्री भारत सिंह रावत-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शासन ने गत वर्ष कितने अंशकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति की है ? क्या सरकार उक्त सभी अंशकालिक चिकित्सकों की योग्यता एवं अच्छी सेवा को देखते हुए उनके नियमितीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक अंशकालिक चिकित्सकों का नियमितीकरण हो जायेगा ?

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (डा0 दिनेश जौहरी)-

प्राप्त सूचना के अनुसार अंशकालिक चिकित्सक के रूप में तैनात चिकित्सकों में से 538 कार्यरत हैं ।

शासनादेश संख्या-20-1-91-कार्मिक-2/1991 दिनांक 17.7.91 द्वारा नियुक्ति/चयन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति पर अग्रिम आदेशों तक लगी रोक के कारण अंशकालिक चिकित्सकों के विनियमितीकरण पर विचार फिलहाल स्थगित रखा गया है ।

*6-श्री राम ललित-

(तीसरे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु, शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

*7-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सबसे पिछड़े क्षेत्र चायल में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कहां-कहां पम्प एवं टंकियां बनायी गयी हैं और भविष्य में कितनी और टंकियां बनाया जाना प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इन टंकियों में जेनरेटर लगाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु निम्नानुसार पम्प एवं टंकियों बनवाई गई हैं-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में 2 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पम्प सहित 7 नलकूप एवं 5 टंकियां निम्नानुसार बनायी गयी हैं:-

(क) चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम चरवा में 2 नलकूप व 1 टंकी, ग्राम काजू में 1 नलकूप व 1 टंकी तथा ग्राम बड़ागांव (पट्टी परवेजाबाद) में 1 टंकी,

(ख) आलमचन्द्र ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम आलमचन्द्र में 2 नलकूप व 1 टंकी तथा ग्राम महगांव में 2 नलकूप व 1 टंकी,
(ग) उक्त के अतिरिक्त चायल तहसील क्षेत्र के ग्रामों में 1147 इण्डिया-मार्क-2 हैण्ड पम्प भी लगाये गये हैं ।
2. चायल क्षेत्र में तीनों नगर क्षेत्र समितियों में 4 नलकूप एवं 3 टंकियां निम्नानुसार बनायी गयी हैं:-
(क) क्षेत्र समिति चायल नगर में 2 नलकूप एवं 1 टंकी,
(ख) क्षेत्र समिति सराय अकिल नगर में 1 नलकूप व 1 टंकी,
(ग) क्षेत्र समिति भरवारी नगर में 1 नलकूप व 1 टंकी,

इस वित्तीय वर्ष में सराय अकिल क्षेत्र समिति में एक अतिरिक्त नलकूप का निर्माण प्रस्तावित है ।

चरवा एवं काजू ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में जेनरेटर उपलब्ध है । अन्य क्षेत्रों में जेनरेटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जेनरेटर से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था करना मितव्ययी एवं व्यवहारिक नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अलीगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसायन के अन्तर्गत सिधौली ग्राम के उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण की मांग

1-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में हसायन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतगत सिधौली ग्राम के उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण न करने के क्या कारण हैं ? इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

डा0 दिनेश जौहरी-

अलीगढ़ जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसायन के अन्तर्गत सिधौली परिवार कल्याण उपकेन्द्र का निर्माण विलम्ब से भूमि उपलब्ध होने तथा पर्याप्त धन आवंटन न होने के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका ।

प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण अप्रैल, 1992 तक पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ में स्थित उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्र चालू करने की मांग

2-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दराराऊ, जनपद अलीगढ़ के भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्या निर्माण कार्य में चिकित्सालय परिसर से मुख्य सड़क तक लिंक रोड निर्मित कराने का भी प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने के कारण क्या हैं ? क्या उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्र चालू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 दिनेश जौहरी-

प्रश्नगत उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य मार्च 1992 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

जी नहीं, निःशुल्क भूमि केवल चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ही प्राप्त हुयी थी ।

कार्यस्थल में विवाद तथा जिला योजना से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो पाना निर्माण कार्य के निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने के मुख्य कारण हैं ।

जी हां, भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही इसे चालू करना संभव होगा।

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगर में पेयजल संकट को दूर करने के उपाय

3-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ नगर में पेयजल का नितान्त अभाव है ? क्या यह सही है कि दूषित जल पीने के कारण अनेक बीमारियां इस नगर में फैल रही है ? यदि हां, तो क्या गम्भीर पेयजल संकट का दूर करने हेतु सिकन्दरा राऊ नगर में प्रस्तावित नलकूप व हैण्ड पम्पों को स्थापित करने का कार्य जल निगम द्वारा शीघ्र कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्तमान में सिकन्दराराऊ नगर में 3 नलकूपों द्वारा जल व्यवस्था की जा रही है ।

जी नहीं ।

वर्तमान वर्ष 1991-92 में 10(दस)इण्डिया मार्क-11 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। पेयजल संकट को दूर करने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पेयजल व्यवस्था में सुधार लाया जायेगा ।

जनपद अलीगढ़ में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

4-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी का पद रिक्त होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और भिसी मिजापुर ग्राम के चिकित्सालय भवन का निर्माण न होने के कारण जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो रिक्त स्थान पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

डा0 दिनेश जौहरी-

अलीगढ़ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद का कार्य स्थानीय व्यवस्था में जनपद के वरिष्ठतम चिकित्साधिकारी अपने पदभार के अतिरिक्त, देख रहे हैं अतः चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में कोई गतिरोधी नहीं हैं ।

भिसी मिजापुर ग्राम का चिकित्सालय किराये के भवन में कार्यरत है और क्षेत्रीय जनता को असुविधा नहीं है । चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु आवश्यक धन स्वीकृत कर दिया गया है ।

क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर नियमित चयन होने के पश्चात् ही उक्त रिक्त स्थान पर नियुक्ति करना सम्भव हो सकेगा ।

उत्तर प्रदेश में सुलभ शौचालयों के निर्माण में बिलम्ब से सम्बन्धित संस्था को दण्डित करने की मांग

5-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सुलभ शौचालयों के निर्माण के कार्य पर सुलभ इन्टरनेशनल नाम की एक संस्था का पिछले एक दशक से एकाधिकार बना हुआ है ? स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा इस कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर नहीं निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया जाता है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश सरकार की स्थानीय निकाय निदेशालय का पचासों करोड़ रुपया इस संस्था को कई वर्षों से अग्रिम के रुप में दिया गया है तथा इस संस्था द्वारा शौचालयों का निर्माण कम से कम पांच सालों में किया जाता है ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ? क्या विभाग द्वारा इस संस्था से कोई बिलम्ब शुल्क आर्थिक दण्ड के रुप में लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनको दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के ब्लाक-भाटपार रानी के अन्तर्गत ग्राम कुकुरघांटी एवं रघुनाथपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शीघ्र चालू करने की मांग

6-श्री हरिवंश सहाय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-देवरिया के ब्लाक-भाटपार रानी के अन्तर्गत ग्राम कुकुरघांटी एवं रघुनाथपुर मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कब तक चिकित्सकों की नियुक्ति करके उसे चालू कर दिया जायेगा ?

डा0 निदेश जौहरी-

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद देवरिया के अधीन इस वर्ष पर्याप्त संख्या में चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं उनमें दो चिकित्साधिकारियों को क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकुरघाटी एवं रघुनाथपुर में तैनात कर उन्हें यथाशीघ्र क्रियाशील किया जायेगा ।

7-9-श्री कृष्ण किकंर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश-

(माननीय सदस्यों द्वारा वापस लिया गया)

जनपद गोण्डा में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प में घपले की जांच तथा सम्बन्धित अधिकारी को बहाल किया जाना

10-श्री कृष्ण किकंर सिंह तथा श्री जटा शंकर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में कितने रूपये का घपला वहां के अधिकारियों द्वारा किया जाना सिद्ध पाया गया है ? क्या इस गम्भीर अनियमितता के लिये जो दंड विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है वह प्रशासनिक सुधार के नियमों के विरूद्ध है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम, गोण्डा शाखा की एक जिप्सी मारूती कार नवम्बर, 1990 में अयोध्या काण्ड में नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो यह सरकारी गाड़ी किसको दी गयी थी तथा उसकी मरम्मत आज तक क्यों नहीं करायी गयी ? क्या सरकार इसके लिये अधिशासी अभियंता, जल निगम, गोण्डा को दंडित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

विस्तृत जांच करायी जा रही है ।

अन्तरिम जांच के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में की गई कार्यवाही को समाप्त कर विस्तृति जांच कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट आने के बाद परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

शान्ति व्यवस्था के कार्य हेतु यह गाड़ी अधिशासी अभियनता, प्रकल्प शाखा, गोण्डा के पत्रांक-5432/एम-6/48, दिनांक 16.10.1990 द्वारा जिला प्रशासन को दी गई थी । यह गाड़ी अभी तक जिला प्रशासन द्वारा वापस नहीं की गयी है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि अधिशासी अभियंता दोषी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश-जल निगम में प्रबन्ध निदेशक पद पर लम्बित नियुक्ति का प्रकरण

11-श्री महराज सिंह यादव, श्री कृष्ण किकंर सिंह तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक का पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है ? और क्या सरकार ने

इस हेतु कोई चयन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में बनायी है? क्या उक्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक 10-5-1990 को किसी का चयन भी किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति को कार्य न सौंप कर किसी अन्य अधिकारी को प्रबन्धक निदेशक का चार्ज वर्ष 1990 के मध्य दिया गया और बाद में उसे भी हटा दिया गया ? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक का चार्ज वापस लिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जल निगम की तमाम जन कल्याणकारी योजनायें ठप्प पड़ी हुयी हैं तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्यापक रोष है ? यदि हां, तो अब तक प्रबन्ध निदेशशक का चयन न हो पाने के लिये सरकार नगर विकास विभाग के सचिव को तत्काल हटाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

1.12.1989 से ।

जी हां ।

चयन समिति ने प्रश्नगत पद पर श्री राम सूरत सिंह, मुख्य अभियन्ता को नियुक्ति किये जाने की संस्तुति की थी ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित नहीं किया गया ।

जी हां ।

प्रशासनिक कारणों से ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु चयन न होने के लिये सचिव, नगर विकास को हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल, पानी निकासी-गन्दगी आदि समस्याओं के समाधान की मांग

12-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि आगरा शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पेयजल समस्या, गन्दे पानी की निकासी तथा आबादी वाले क्षेत्रों में गन्दे पानी से भरे गड्ढों शौचालयों की कमी व नाली खारजों की समस्या बनी हुई है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री से 150 लाख रुपयों की मांग गत वित्तीय वर्ष में की गयी व 26 प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं ? क्या सरकार इन समस्याओं का समाधान करने हेतु 150 लाख रूपया मंजूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा स्थित लोहा मण्डी में रतन मुनि जैन गर्ल्स कालेज के पास रास्ते से मांस की दुकानें हटाने की मांग

13-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा स्थित लोहा मण्डी में

रतन मुनि जैन गर्ल्स कालेज के पास रास्ते में मांस की दुकानें हैं जिनसे छात्राओं को आने-जाने में तकलीफ व जानवर व पक्षियों के उत्पीड़न का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है? क्या मांस की इन दुकानों को विद्यालय से 250 मीटर की दूरी तक हटाने की कोई योजना है, जिससे उक्त विद्यालय की छात्राओं को प्रतिदिन की परेशानी से छुटकारा मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

आगरा स्थित लोहामण्डी में रतन मुनि जैन गर्ल्स कालेज के पास रास्ते में मांस की दुकानें हैं जहां से रास्ता उक्त कालेज को जाता है । इन दुकानों को विद्यालय से सम्प्रति 250 मीटर की दूरी पर हटाने की कोई योजना वर्तमान में नगर महापालिका के विचारधीन नहीं है । शासन द्वारा नगरमहापालिका आगरा को मांस की दुकानों को हटाने के प्रस्ताव पर गुणाविगुण के आधार पर विचार कर पूर्ण औचित्य के साथ आख्या प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये हैं ।

14-15 श्री किशन गोपाल-

(पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 15-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोरवार के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 जे0पी0 राव द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

16-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जे0पी0 राव चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोरवार (गोरखपुर)के विरुद्ध वर्ष 10/87 से 8/90 तक आडिट रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां लगायी गयी थी ?क्या यह सही है कि गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें एवं लगातार सात-आठ वर्ष तक उक्त केन्द्र पर कार्यरत रहने के बावजूद भी डा0 राव का स्थानान्तरण पुनः केन्द्र के ही समीप प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र बेलवार में कर दिया गया है और साथ ही साथ डा0 राव का इस केन्द्र के भवन पर अब तक भी कब्जा बना हुआ है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश जौहरी-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोरवार जिला गोरखपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 जे0पी0 राव (10/87 से 16-6-90), डा0 के0बी0 लाल (17-6-90 से 31-7-90) तथा डा0 ए0के0 सिंह (1-8-90 से अब तक) के 10/87 से 8/90 तक की अवधि की सम्प्रेक्षा आख्या दिनांक 28-11-90 में निम्नलिखित आपत्तियां अंकित की गयी हैं:-

1-नगर प्रतिकर भत्ता की मद में रुपया 70725/-के अधिक भुगतान किये गये धनराशि की सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली ।

2-नसबंदी कैम्प से कैम्पेज मद में भुगतान किये गये रुपया 15005.00 का दुरूपयोग ।

3-4.5 लाख रूपया का अग्रिम आहरण का समायोजन न किया जाना ।

4-अनियमित रूप से 5,950.00 के लागत से क्रय की गई सामग्री की स्टाक में न होने के कारण हानि ।

जी नहीं । डा0 राव की तैनाती वर्तमान समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसगांव जनपद-गोरखपुर में की गयी है किन्तु डा0 राव ने अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोरवार का आवास खाली नहीं किया है ।

आपत्तियों की जांच की जा रही हैं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोरवार से सम्बन्धित आवास को डा0 राव से यथा शीघ्र खाली कराने हेतु आवश्यक निदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद खीरी की तहसील निघासन के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

17-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि निघासन तहसील जनपद-खीरी में ग्राम वासियों को स्वास्थ्य रक्षक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई भी ग्राम समूह पेयजल योजना नहीं चलाई गई है ?यदि हां, तो क्या उक्त तहसील के पलिया विकास खण्ड के त्रिकोलिया, नौगवां तथा निघासन और बहमनपुर गांवों तथा विकास खण्ड रमिया बहेड़ में बैरिया ग्रामों में कुल पांच ग्राम समूह पेयजल योजना स्थापित कराकर ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद खीरी की तहसील निघासन में कोई ग्राम समूह पेयजल योजना नहीं बनाई गई है परन्तु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त व्यवस्था की गई है:-

निघासन तहसील के अन्तर्गत तीनों विकास खण्डों पलिया, निघासन एवं रमिया बेहड़ के क्रमशः 117, 89 एवं 58 ग्राम समस्याग्रस्त हैं जिनमें जून,1991 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रमशः 531, 378 व 568 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।

विषयगत ग्रामों में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन की स्थिति निम्नानुसार है:-

ग्राम	जनसंख्या	प्रस्तावित हैंडपम्प	30 जून 91 तक अधि0है0पं0	शेष है0पं0	वर्ष 91-92 में ही और प्रस्तावित हैंड पम्प
त्रिकोलिया	1550	9	5	4	4
नौगवां	2622	16	2	14	4
निघासन	6073	34	11	23	6
ब्रहमनपुर	1282	8	8	-	-
बैरिया	2650	15	5	10	-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इन क्षेत्रों में हैण्ड पम्प सफल होने के कारण पाइप पेयजल योजना का विकल्प मितव्ययी न होने के कारण ग्राम समूह पेयजल योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद लखनऊ के कन्धारी बाजार में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने की मांग

18-श्री अफजाल अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महा प्रबन्धक जल संस्थान लखनऊ ने अधीक्षण, अभियन्ता तृतीय मण्डल उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ का पत्र संख्या 210-118/11/एल0वाई0एस02/13/(जी0एम0)दिनांक 20-4-90 द्वारा कन्धारी बाजार में एक इण्डिया मार्क 2 हैण्ड पाइप लगाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो आज तक उपरोक्त स्थान पर हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगाया गया ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए तत्काल हैण्ड पम्प लगवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि पत्रांक 118/एल0वाई0एस0 2(बी)-जी0एम0 दिनांक 20-4-90 लखनऊ जल संस्थान से प्राप्त हुआ है, जिसमें

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, लखनऊ द्वारा धन की मांग करने पर धन प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत हैण्ड पम्प अधिष्ठापित नहीं किया गया ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है । धन प्राप्त होने पर ही हैण्ड पम्प लगाया जा सकेगा ।

मार्च, 1990 के पूर्व कंधारी बाजार में 2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं जो चालू हालत में हैं ।

उ0प्र0 जल संस्थान कानपुर के नव नियुक्त महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच

19-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल संस्थान कानपुर के नवनियुक्त महाप्रबन्धक के विरुद्ध सतर्कता विभाग की खुली जांच चल रही है ?यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनके विरुद्ध वर्ष 1985-86 में सुल्तानपुर में हैण्ड पम्प में घपला करने व नवम्बर, 1990 में एक सरकारी गाड़ी (एम्बेस्डर) को जलवाने तथा मुख्य भवन जल निगम मुख्यालय में अग्नि काण्ड के लिए जिम्मेदार तथा बिना प्राक्कलन के मुख्य भवन की मरम्मत में तीन करोड़ रुपया व्यय करने के लिए भी ये जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी गलत तैनाती के लिए शासन के उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं ?यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

नगर विकास विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

जांच कराई जा रही है ।

दिनांक 19-11-90 को आरक्षण विरोधियों द्वारा विभागीय कार जला दी गयी थी जिसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार आग, बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगने की सम्भावना व्यक्त की गयी है । अतः कोई अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है।

जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20-श्री यदुनाथ सिंह -

(तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित)

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 अगस्त, 1991 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना सुरेन्द्र सिंह जी की है । जनपद गाजीपुर के अलावलपुर, बटेसर, सिराईपुर मार्ग के अधूरे पक्के पिच रोड को पूरा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है ।दूसरी सूचना श्री राम स्वरुप वर्मा की ग्राम तेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के श्री ब्रजलाल कुशवाहा की हत्या किये जाने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की क्षेत्र समिति की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग न लिये जाने के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री नंद राम की जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा कैनाल शाखा व शाहजहां पुर ब्रांच पटना माइनर रजबहा ग्राम पटना और रामपुरा परवीन बीच नहर कट जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार की लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन क्षेत्र में सुहेली नदी के उफना आने से उत्पन्न

स्थिति के संबंध में है । छठीं सूचना श्री बलराम यादव की आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय की मदनपुर, जिला देवरिया के थानाध्यक्ष द्वारा आम जनता को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में है ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, यह सुनिश्चित कर लें कि जितने माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये हैं वह सदन में हैं या नहीं हैं ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री राम स्वरुप वर्मा, श्री नरेश अग्रवाल, श्री नंदराम, श्री निरवेन्द्र कुमार, श्री बलराम यादव, श्री हरिवंश सहाय के नाम पुकारे जाने व उनके उपस्थित होने पर ।)

श्री अध्यक्ष-

सभी लोग उपस्थित हैं । यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं ।)

जनपद गाजीपुर के अलावलपुर, बरेसर, सिराईपुर मार्ग के अधूरे पिच रोड को पूरा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन अलावलपुर बरेसर, तिराईपुर मार्ग के पक्के पिच रोड निर्माण के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । इस मार्ग की लम्बाई लगभग 15 किमी0 है । अलावलपुर से बरेसर तक 8 किमी0 पिच कराने का कार्य स्वीकृत है शेष भाग की पिच स्तर तक स्वीकृत कराने की आवश्यकता है । इस सड़क के न बनने के कारण स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हैं। तथा लोगों ने सैकड़ो की संख्या में संबंधित अभियंताओं एवं अधिकारियों के पास धरना एवं प्रदर्शन किया । लेकिन इसके बावजूद भी विभाग द्वारा पूर्ण रूप से शिथिलता बरती गयी जिसके कारण सड़क अधूरी है । इसके लिए अभियंता दोषी है । इनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । सार्वजनिक निर्माण विभाग शीघ्रातिशीघ्र कार्य को पूरा करवाया जाय, जिससे यहां की जनता को न्याय मिल सके ।

ग्राम तेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के श्री ब्रजलाल कुशवाहा की हत्या किये जाने के संबंध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामस्वरूप वर्मा-

(मान्यवर, ग्राम-तेरा थाना-मंगलपुर जनपद कानपुर-देहात के श्री ब्रजलाल कुशवाहा की दिनांक 22.9.89 समय 9.00 बजे रात्रि को गोली मारी गई । जिसकी रिपोर्ट थाना-मंगलपुर में अपराध संख्या-204/89 धारा 307 में इन्द्राज ली गई । चार अभियुक्त नामजद थे । जब से इस मामले की जांच थाना-मंगलपुर की पुलिस, थाना-तेरापुर की पुलिस, थाना-सिकन्दरा की पुलिस, थाना-बिल्हौर के तीन पुलिस इन्सपेक्टरों ने अलग-अलग की । इन छः जांच अधिकारियों में से पांच ने मुल्जिमान को दोषी ठहराया । केवल सिकन्दरा के श्री राजदत्त त्रिपाठी ने मुल्जिमों के पक्ष में रिपोर्ट दी । तब अब सातवीं बार फिर जांच एस0आई0एस0 कानपुर देहात को दी गई । अभी तक कोई मुल्जिम न तो गिरफ्तार किया गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

और न कुर्की की गई । ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक जांच मुल्जिमान को निर्दोष नहीं बतायेगी तब तक इसकी जांच चलती रहेगी ।

इस बार-बार जांच बदलने की क्रिया से उस क्षेत्र की जनता में पुलिस अधिकारियों पर संदेह हो गया है और जनता ऐसे पक्षपात से बेहद नाराज है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वादी को न्याय मिल सके और मुल्जिमान उचित दण्ड पा सकें ।)

क्षेत्र समिति की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग न लिये जाने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेश अग्रवाल-

(मान्यवर, उ0प्र0 की मौजूदा नई सरकार ने यह नारा दिया था कि उनकी सरकार गांव का विकास कर वहां की रहने वाली 80 प्रतिशत जनता को संविधान के अन्तर्गत दिए गए अधिकार दिलवायेगी और प्राथमिकता के आधार पर गांवों का विकास करेगी ।

आज स्थिति यह हो गयी है कि क्षेत्र समिति की बैठकों के लिए उनमें भाग लेने कोई अधिकारी नहीं आ रहा है । इससे प्रधानों तथा गांव की जनता में असंतोष पैदा हो गया ।

दि0 26-7-91 को ब्लाक सुरसा जनपद हरदोई में क्षेत्र समिति की बैठक में वहां उपस्थित प्रधानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्रास करे इस कारण स्थगित कर दिया क्यों कि उसमें सूचित किए गये अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी नहीं आया । इसी प्रकार के प्रस्ताव प्रदेश के अन्य जिलों में भी पास हुए हैं ।

उपरोक्त घटना से हरदोई की गांव की जनता में बहुत असंतोष पैदा हो गया है और कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है ।

कृपया सरकार को निर्देश देकर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।)

जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा कैनाल व शाहजहापुर ब्रांच पटना माइनर रजबहा ग्राम पटना और रामपुरा परबीन बीच नहर कट जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्दराम-

(मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा कैनाल शाखा शाहजहांपुर ब्रांच पटना माइनर रजबहा ग्राम पटना और रामपुरा परवीन के बीच नाला से नहर काट दी गई है । करीब 6 महीने से कटी पड़ी है, जिससे 12, 14 ग्रमों में सिंचाई न हो सकी । इससे जनता में बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो गया है । इसकी सिंचाई से 30 लाख रुपये की क्षति शासन/प्रशासन को हो रही है । मैं मांग करता हूं कि जिस कर्मचारी की लापरवाही से नहर कटी है, उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे और नहर को तुरन्त बंधवा कर जनता में संतोष की लहर पैदा की जाये ।)

लखीमपुर-खीरी जनपद के निघासन क्षेत्र के सुहेली नदी में बाढ़ आ जाने से भारी क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र कुमार-

(मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन निर्वाचन क्षेत्र में सुहेली नदी जो कि दुधवा नेशनल पार्क के किनारे, किनारे होकर गुजरती है उथली हाने के कारण अतिशीघ्र उफना जाती है जिससे दुधवा नेशनल पार्क के हजारों पेड़ सूख गये हैं जंगल में पानी भरा रहने के कारण जंगल में दल-दल होता जा रहा है दूसरी ओर सुहेली नदी के उफनाने के कारण पलिया ब्लाक एवं निघासन ब्लाक के सैकड़ों ग्रामों के किसानों की फसलें उस बाढ़ से बरबाद हो जाती है तथा तिकुनिया से निघासन होते हुए खजुरिया पी0डब्लू0डी0 रोड कइ जगहों पर कट जाती है तथा पुलिया टूट जाती है ।

अतः मेरी आपके द्वारा शासनसे मांग है कि तत्काल सुहेली के दक्षिण किनारे पर ऊंचा बांध बंधवा दिया जाय ।)

आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलराम यादव-

(मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के एक मात्र विद्युत उपकेन्द्र अतरौलिया को जनपद फैजाबाद टाण्डा से तथा जनपद आजमगढ़ से विद्युत आपूर्ति की जाती थी जिससे जनपद आजमगढ़ तथा फैजाबाद के बहुत महत्वपूर्ण भाग में विद्युत निर्बाध गति से पहुंचती रही है ।

लगभग ढाइ वर्ष पूर्व फैजाबाद के पूर्वी छोर के ग्राम नेऊरी से कौड़ाही तक मुख्य लाइन के तार तथा कुछ खम्भे चोरों द्वारा काट लिये गये हैं, तब से आज तक उक्त माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्युत सब स्टेशन तक नहीं पहुंचती है । जिसके कारण काफी बड़े क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है । इस महत्वपूर्ण लोक हित के मामले को बार-बार विद्युत परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद भी आज तक कोइ भी कार्यवाही नहीं की गइ, जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।)

देवरिया जिलान्तर्गत मदनपुर के थानाध्यक्ष द्वारा आम जनता को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय-

(मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान मदनपुर जिला देवरिया थानाध्यक्ष द्वारा आम जनता पर ढाये जा रहे जुल्म के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

जिससे पूरे क्षेत्र में हाहाकार एवं त्राहि-त्राहि मचा हुआ है ।

महोदय, उक्त थानाध्यक्ष दिनांक 9.7.91 को ग्राम महेन थाना-मदनपुर जिला देवरिया के राम रेखा पुत्र राम लखन कहार को बिना किसी मुकदमें तथा कारण बताये बुरी तरह पीटे और मारकर उसका हाथ तोड़ दिए उन्होंने उसके पुत्र को भी पीटा तथा दोनों को ले जाकर थाने में बंद कर दिये तथा 3 दिन बाद फर्जी मुकदमा कायम कर चालान किये ।

मान्यवर, उक्त राम रेखा केवल मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरणपोषण करता रहा है इस समय उसका पूरा परिवार भूखमरी का शिकार है ।

राम रेखा ने अपनी आप बीती पुलिस अधीक्षक देवरिया को भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की प्रार्थना किया है ।

मान्यवर, उक्त थानाध्यक्ष श्री कविलासराम जिले में रहते हुए ऐसी कइ घटनाएं कर चुके हैं और कोइ कार्यवाही नहीं हुई है ।

समाचार पत्रों में भी इनके अत्याचार को प्रकाशित किया है ।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन के माध्यम से शासन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कारवाई की मांग करता हूं ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः-( )यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 अगस्त को नियम 300 की जो सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं उनका विवरण इस प्रकार है:-

पहली सूचना श्री पवन कुमार पांडेय की जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग में 1987 से अब तक पचासों लाख रुपये का आर्थिक घपला एवं गंभीर अनियमितताओं के संबंध में है । यह सूचना नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है इसलिये इसकी अग्राह्य घोषित करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की विधायकों को अंगरक्षक दिये जाने के बारे में है । यह भी नियम 300 में नहीं जाती है ।

विधायकों से शैडो एवं गनर वापस ले लिये जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, संविधान का उल्लंघन हो रहा है ! जो विधायकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं उनका उल्लंघन हो रहा है । हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । मान्यवर, आप तो कानून के पंडित हैं, ज्ञाता हैं । नियम 300 में है कि नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो, जब विधानसभा में हम चुनकर आ गये, हमने शपथ ली और आपके संरक्षण में आ गये तो हमारी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है । श्रीमन् सरकार बदले की भावना से काम कर रही है । अगर विधान सभा, विधान परिषद के सदस्यों की जान खतरे में होगी और उनमें असुरक्षा की भावना होगी तो वह यहां बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगे ।

(शोर)

यह सरकार विश्व हिंदू परिषद, बजरंगदल के असमाजिक तत्वों को शैडो दे रही है जिससे असुरक्षा की भावना विधायकों में पैदा हुई है । यह औचित्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । कांग्रेसी विधायकों के शैडो लिये जा रहे हैं । राज्य गृह मंत्री के फोन करके फैजाबाद के एस0एस0पी0 से कहा है कि तमाम महंतों और बजरंगदल के .....(घोर व्यवधान)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

(घोर व्यवधान के मध्य) श्री पवन कुमार पाण्डेय की सूचना जो जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग में 1987 से अब तक पचासों लाख रुपये का आर्थिक घपला एवं गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, नियम 300 में नहीं आती, अतः अग्राह्य करता हूं । श्री नरेश अग्रवाल की विधायकों को अंगरक्षक दिये जाने के बारे में सूचना नियम 300 में नहीं आती, अतः अग्राह्य करता हूं । श्री यदुनाथ सिंह, श्री राजेन्द्र, श्री राम खिलाड़ी, श्री लाल जी वर्मा तथा श्री राम प्रसाद सिंह, विधायक की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई तथा जेल में निरुद्ध किये जाने और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना नियम 300 में नहीं आती, अतः अग्राह्य करता हूं । श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अरविन्द प्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री छोटे लाल तथा श्री महराज सिंह यादव की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विषय में सूचना नियम 300 में नहीं आती , अतः अग्राह्य करता हूं । श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री जगराम सिंह यादव, कतिपय अन्य माननीय सदस्यों श्री राम प्रसाद सिंह (बांदा), श्री अशोक सिंह (रायबरेली) तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित (उन्नाव) पर फर्जी मुकदमें कायम किए जाने के सम्बन्ध में सूचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 300 में नहीं आती अतः अग्राह्य करता हूं । श्री राम आसरे वर्मा की सूचना जो मंत्रि-परिषद द्वारा शपथ ग्रहण के तुरन्त बाद अयोध्या जाकर धर्मोन्मादी आचरण के सम्बन्ध में तथा न्यायपालिका की अवमानना के सम्बन्ध में है, नियम 300 में नहीं आती, अतः अग्राह्य करता हूं ।

विधायकों से शैडो एवं गनर वापस ले लिये जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

(घोर व्यवधान के मध्य)मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी ने औचित्य के प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया, विधायकों की सुरक्षा के बारे में, यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता । लेकिन हमारी यह नियमावली किस लिए बनी है । अगर संविधान के किसी अनुच्छेद से संबंधित कोई बात हो, यहां की कार्यवाही से संबंधित कोई बात हो, विधायकों का कोई मसला हो, तो हम प्रश्न यहां पर उठा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि विधायकों की सुरक्षा को हमेशा इस सदन में प्राथमिकता दी जाती रही । आपकी पीठ से भी ऐसे अनेक आश्वासन दिये गये हैं । विधायकों की सुरक्षा का जो मसला अग्रवाल जी उठा रहे हैं, वह नियम 300 में न भी आता हो तो भी प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिये । इस समय स्थिति यह है कि कोई भी दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है । ऐसी सूचना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बदले की भावना से उत्पीड़ित करने के लिये अंगरक्षक वापस लिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता । किसी अन्य नियम में उठावें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, हमको शासन में रहते हुए तमाम कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः हम लोगों की सुरक्षा के प्रति डर पैदा हो जाता है । हम लोग जान की परवाह करने वाले नहीं हैं । हमारे पास दो शैडो और एक गनर था । गनर बीमार हो जाय तो अकेले जाना पड़ता है । हम लोग जान की परवाह नहीं करते, लेकिन सरकार बदले की भावना से काम कर रही है । आपको इस मामले में सोचना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

आपका तर्क मैंने सुन लिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, तमाम विधायकों के अंगरक्षक वापस कर लिये गये हैं । सरकार के लिये सबसे पहली जरूरी चीज है लोगों की जान माल की हिफाजत करना । जब सरकार विधायकों की रक्षा नहीं कर पाएगी तो और लोगों की क्या करेगी । आप इस बात को गम्भीरता से लेते हुए इस पर चर्चा करावें ।

नेता विरोधी दल(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)-

मान्यवर, जो शैडो और गनर के सम्बन्ध में माननीय नरेश जी माननीय तिवारी जी और माननीय वर्मा जी ने सवाल उठाया है, बड़ा महत्वसपूर्ण सवाल है । मैं भी समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और अगर किसी विधायक के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्मान को चोट पहुंचेगी तो उसका निराकरण किया जायगा । मैं आपकी सूचना के लिये संज्ञान में दे दूं कि श्रीमती गौरी देवी विधायक रहीं, उनके पति की हत्या की गयी थी जिनके बाल-बच्चे नहीं हैं, कल एक ट्रक पी0ए0सी भेजकर उनके शैडो को जबरदस्ती वहां से हटा लिया गया । मान्यवर, आपने कहा था कि विधायकों पर अत्याचार नहीं होगा, वह भूतपूर्व विधायिका हैं, उनके पति भी विधायक थे, जिनकी हत्या कर दी गयी थी । मान्यवर, पी0ए0सी0 भेजकर शैडो को वापस लेने की क्या जरूरत थी ? मान्यवर, श्री अनवार अहमद जो इस प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं तथा केन्द्र में भी संसद सदस्य रहे हैं, उनका शैडो और गनर तत्काल वापस ले लिया गया । श्री शारदा प्रताप शुक्ल, जो यहां पर विधायक रहे हैं और लखनऊ से विधायक रहे हैं, उनका शैडो हटा लिया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि आप कम से कम विधायकों की रक्षा करें, जिन्हें गांव-गिरांव में रात-बिरात जाना पड़ता है ।

मान्यवर, आज के युग में जहां पर उग्रवाद और अलगाववाद चल रहा है, परम उत्तरदायित्व आपका बनता है विधायकों की रक्षा करना । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि मैं शैडो और गनर देने की श्रेणी बना रहा हूं । मैंने उनसे कहा था कि उस में विधायकों को पहली श्रेणी में रखें, तत्काल उनके शैडो न हटाकर उन्हें वापस करें । पिछली सरकार ने अगर किसी गलत आदमी को शैडो दे दिया, तो उसे वापस करें । जिन्हें आवश्ककता है, जिन्हें नेसेसरी नेसेसिटी है, आवश्यक आवश्यकता है, जिनको बहुत ही जरूरत है, उनके लिए आपसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उनको तत्काल शैडो और गनर आवश्यकतानुसार प्रदान करें, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी दिन किसी की लाश उठ जायगी, तो आपको शोक प्रस्ताव भी लाना पड़ जायगा । मान्यवर, विधायकों के जो भी प्रार्थना-पत्र हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें गनर या शैडो प्रदान किये जायं या जिनके पास गनर शैडो थे, उन्हें तत्काल उनको वापस किये जायें ।

(व्यवधान)

*वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री-(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना । मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिन लोगों की समाज सेवा के कारण अपने जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी-पूरी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जब हम शासन में आये, तब हमने इस बात का अनुभव किया कि असुरक्षा की भावना दो प्रकार से पैदा हो सकती है । अगर हमने कत्ल किये होंगे, या कराये होंगे, तो हमारी जान का खतरा होगा ही । दूसरा हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमने अच्छे काम के लिए किसी की सिफारिश की, उसका प्रतिद्वन्द्वी हमारा दुश्मन बन गया । इस तरह से शैडो पाने की दो श्रेणियां हैं । जब हमने इस बात को देखा, मैं आदरणीय सदन में कहना तो नहीं चाहता था, अगर मुझसे कोई माननीय सदस्य चैलेंज करें, तो नाम बताना शुरू करूंगा, ऐसे न जाने कितने लोगों को गनर और शैडो दिये गये जो 302 और 307 के मुलजिम हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं) (व्यवधान)

मान्यवर, आगे की बात सुन लें ।

(शोर व्यवधान)

मान्यवर, जब मैंने यह बात कही, इधर-उधर का भेद-भाव नहीं किया । 302 और 307 के बारे में मैंने इधर-उधर का भेद-भाव नहीं किया । हमारी माननीय कल्याण सिंह की सरकार ने यह फैसला किया है कि हम इसके लिए एक नियमावली बनायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(कई लोगों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जांय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय कल्याण सिंह जी ने यह फैसला कियाहै कि हम पनर और शैडों देने के लिए नियमावली बनायेगें । जहां तक मेरी जानकारी है वह नियमावली लगभग बन गयी हे और मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं -(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, (× × × × × ×) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

मैंने सम्मानित सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया और अगर इसका दुरूपयोग किया जायेगा तो सदन की कार्यवाही इस प्रकार से नहीं चलेगी । आप कृपया जब अपनी बात कहते है तो दूसरे की बात को सुनने की क्षमता भी रखिये । मैंने नेता विरोधी दल को अवसर दिया , अन्य सदस्यों को अवसर दे दिया तो अब इस प्रकार की कार्यवाही से सदन चलायेंगे । आप कृपया स्थान ग्रहण करिये । आप रात तक बैठेगें तो हम रात तक सुनेगें लेकिन इस प्रकार से व्यवधान डालकर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी । आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का लेकिन एक सदस्य जब बोल रहे हैं तो इस प्रकार का व्यवधान न डालें ।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इन्होंने सदन की मयादा का हनन किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने गम्भीर आरोप लगाये हैं, मान्यवर, एक मिनट का समय चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग स्थान ग्रहण करें, यदुनाथ जी स्थान ग्रहण करें । मैं सभी माननीय सदस्यो को अवसर दूंगा लेकिन इस प्रकार से नहीं ।

एक सदस्य-

मान्यवर, (× × ×)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, (× × × × ×) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई भी चीज सदन की कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

(व्यवधान)

आप लोग व्यवस्थित होकर करेगें तो सारी बात लिखी भी जायेगी और सुनी भी जायेगी । सारा सदन उसे सुनेगा ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यहां पर अभी बात कही है उसे बहुत से लोग सहमत होंगे और बहुत से लोग असहमत होंगे । यह भी हो सकता है उनकी बातों से कुछ लोग दूसरे विचार रखते हों । मैंने जब अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया तो उसी समय यह इच्छा प्रकट की थी कि सदन व्यवस्थित ढंग से, नियमानुसार, अनुशासित सदन के रूप में कार्य करें । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सदन को देर तक चलाना चाहते हैं 8 घंटे 10 घंटे काम करना चाहते हैं सदन को 9 बजे 10 बजे रात तक चलाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें प्रत्येक सदस्य को सुनने का अवसर मिलेगा । लेकिन जो इस तरह से अव्यवस्थित सदन चल रहा है इससे जो गैलरी में बैठे लोग हैं उनके मन में यहां के प्रति क्या धारणा बनेगी । कल जब समाचार पत्र लोग पढ़ेंगे तो उनके मन में यहां के प्रति क्या धारणा बनेगी । एक विधायक के स्तर को ध्यान

नोट: (×××)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में रखते हुए ही यहां पर अपनी बात कहनी चाहिये । जब आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वे आपकी बात को सुनें तो आपको भी दूसरे की बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मेरी बात को गलत न समझा जाय । मैंने कहा कि माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार गठित है उसने यह अनुभव किया है कि हमको इसके बारे में कोई नीति बनानी चाहिये । यह नीति बन रही है । उस नीति के तहत जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में पूरी चिन्ता करना यह हमारी प्राथमिकता है । चाहे प्रतिपक्ष के विधायक हों या इधर के विधायक हों अगर यह सूचना दें कि आवश्यकता है तो उनकी बात पर पूरी सद्भावना के साथ उनके दल के नेताओं को विश्वास में लेकर विचार किया जायेगा ।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय नेता विरोधी दल जी ने जिन लोगों के नाम लिये हमारी जानकारी के अनुसार वह भू0पू0 विधायक हैं । बहन गौरी देवी जी कल मुझसे मिली थीं मैंने उनसे वायदा किया था कि उनको लेकर मा0मुख्य मंत्री के पास जाकर बात करेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी के एक रिश्तेदार अस्वस्थ हो गये थे वे उनको देखने बाहर चले गये थे इसलिये बात नहीं हो पायी । मैं माननीय गौरी देवी जी को अच्छी तरह से जानता हूं वह दो टर्म सदस्या रहीं । मैं उनके परिवार की स्थिति जानता हूं । किसी भी विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बदले की भावना के साथ काम करने का इस सरकार का कोई इरादा किसी भी स्तर पर नहीं है । जो शैडो की बात है नीति बन रही है, नीति आज ही कल में आने वाली है उससे आपका समाधान होगा । आपस में बैठकर सारी व्यवस्था ठीक कर ली जायेगी। श्री अध्यक्ष-

जो विषय इस सदन के समक्ष सूचना द्वारा उठाया गया है उसके महत्व से कोई भी सदस्य इंकार नहीं करेगा । प्रश्न केवल यहां इस बात का है कि यह नियम 300 में आता है कि नहीं । मैं यह अपेक्षा करता था कि जितने विधायक बोलेंगे वे इसकी ग्राह्यता के बारे में बोलेंगे । सामान्य प्रक्रिया अभी तक दूसरी थी मैंने थोड़ा अंतर किया कि हमारे सम्मानित सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने में कोई बाधा न रहे । लेकिन अगर अव्यवस्थित रूप से बात कही जायेगी तो फिर दिक्कत हो जायेगी । नियम 300 जहां तक मेरी समझ में आ रहा है वह केवल इतना है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों या संविधान में ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे इस सदन की कार्यवाही विनियमित होती है निर्वचन या प्रवचन के संबंध में है । आज अंगरक्षकों को दिये जाने की बात आयी, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार लॉ एण्ड ऑर्डर की, असुरक्षा की, शांति व्यवस्था की समस्या पड़ी है उससे प्रत्येक विधायक की अपने कार्य के सम्पादन के लिए क्षेत्र में जाने के लिये अथवा क्षेत्र के बाहर और कहीं जाने के लिये सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है । इसी आवश्यकता के आधार पर वे निवेदन करते हैं कि उनको अंगरक्षक दिये जायं, जिसके बिना कभी-कभी उनके कार्य प्रभावित हो जाते हैं । प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां शांति व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है वहां विधायकों पर हमले भी हो चुके हैं और हो सकते हैं इधर भी हमले हुए हैं । यह विषय महत्वपूर्ण है । इस नियमावली के अंतर्गत दूसरे नियम भी हैं और इसके लिये अनेक अवसर हैं, जिन नियमों के अंतर्गत सूचना देकर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करके अन्यथा किसी अन्य नियम के माध्यम से सूचना देकर इस पर अपनी बात कहने का अवसर है । यह नियम 300 में नहीं आता है । इसलिये मैं इस प्रश्न पर मोटे तौर पर .....

(व्यवधान)

पहले मेरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए फिर आप बोल लीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण को समाप्त करने का एक ही उपाय है और वह यह है कि सुरक्षा की आवश्यकता को आपने भी महसूस किया है और माननीय नेता सदन ने भी इस बात को महसूस किया है । इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था करें ।

श्री ऊदल-

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि विधायकों को चुने जाने के बाद सरकार ने एक आदेश देकर के सभी विधायकों को शैडो देने की व्यवस्था कर दी थी । इसको आप देख लें इसलिये मैं कह रहा हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य के पास शैडो नहीं है तो इसकी आप समीक्षा कर लें । श्रीमान, मेरे अब तक के जीवन में और पच्चीस साल के संसदीय इतिहास में कभी शैडो या अंगरक्षक की जरूरत नहीं पड़ी । माननीय गुप्ता जी की सरकार ने मेरे पास एक शैडो भेजा था और मैं शुद्ध मजबूरी में पड़ गया कि इसको कैसे लेकर घूमूंगा । मैंने आपके द्वारा भेजे हुए शैडो को बनारस के एस0एस0पी को वापस कर दिया और लिखकर दिया कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब श्री राजीव गांधी जी की और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके शैडो के रहते हुए हो सकती है तो ऊदल भी कैसे बच सकता है इसलिये मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगा । अतः आप इसकी समीक्षा करा लें कि वह सभी माननीय सदस्यों के लिये था या नहीं । अगर सभी के लिये नहीं है तो कृपया सभी लोगों के लिये एक-एक शैडो की व्यवस्था करा दें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और देता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि सभी माननीय सदस्यों के लिये एक-एक शैडो की व्यवस्था होनी चाहिये । लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो आवेदन-पत्र देगें उनके आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा तो मान्यवर, जब हम आवेदन पत्र लेकर जायेगें तभी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था होगी क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह विधायकों की सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था करें । तो इस सरकार की नीति सौजूदा विधायकों के लिये क्या है यह स्पष्ट करा दें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रकरण समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इसका जवाब तो दिलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब जो बोला जायेगा वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री राम प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को जेल से रिहा किये जाने हेतु शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी उन्हें रिहा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री यदुनाथ सिंह-

श्रीमान् इस सदन को चलते हुए 3 दिन हो गये और पहले ही दिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रसाद जी का मामला उठा था, जो यहां पर नहीं हैं । जब यहां पर शपथ हो रही थी तब भी नहीं थे, अध्यक्ष के निर्वाचन के समय भी नहीं थे । विधान सभा अध्यक्ष की बड़ी गरिमा होती है और अध्यक्ष की गरिमा ही विधायक की गरिमा भी होती है और यह ।।वीं विधान सभा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री मेरे साथ मीसा में बन्दी भी रहे हैं । मैं यह महसूस करता हूं कि जब भी सदन में कोई इस तरह की बात आवे कि हम ऐसा करेंगे, जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा हो, तो उसे किया जाना चाहिये । माननीय राम प्रसाद जी आज तक जेल में बन्द हैं, जब यह सरकार कहती है कि हम उनको सराम्मान रिहा कर देंगे, तो उन्हें रिहा कर देना चाहिये । मैं स्वयं यहां पर चौथी बार निर्वाचित हुआ हूं और मैं नहीं समझ सका कि निर्वाचित होने के बाद किसी एम0एल0ए0 से क्या गलती हो जाती है कि उसे जेल में बंद कर दिया जाय, ऐसा तो कहीं भी देखने में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय यदुनाथ सिंह जी,, यह विषय नियम 300 में नहीं आता, इसलिये इसे मैं अग्राह्य करता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे इस बात के लिये संतुष्ट कर दें कि यह नियम 300 में आता है, मैं सुन लूंगा ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, एक 10 वर्ष का बच्चा जो ठीक से मूतना, बैठना नहीं जानता, वह भी जब वहां मिलने गया, तो उसे भी जेल में बंद कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

यदुनाथ जी, मैं कह चुका हूं यह नियम 300 में नहीं आता, इसलिये आप अपनी बात समाप्त करें और स्थान ग्रहण करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अरविन्द प्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री छोटेलाल, श्री महराज सिंह यादव ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के विषय में एक सूचना दी है ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे (xxx) जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

आप हमे नियम 300 में संतुष्ट कर दीजिये, मैं आपको सुन लूंगा ।

(इसके बाद यदुनाथ सिंह के दल के अनेक सदस्य भी फ्लोर पर आ गये और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

कृपा करके यदुनाथ जी, उत्तेजित न हों । इस विषय पर मेरे कक्ष में माननीय नेता विरोधी दल व अन्य सम्मानित नेताओं की, माननीय नेता सदन से बात हो चुकी है ।

(जनता दल के कई सदस्यों के डायस के पास एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान के मध्य कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

अध्यक्ष के पीठ का जो निर्णय है, उसे आप चाहे मानें या न मानें वह तो लागू अवश्य होग । जिस तरह से आप कर रहे हैं, उस तरह से हाऊस नहीं चलेगा।

नोट-(xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आप लोग खड़े रहें, और मैं भी बैठा हूं । औचित्य का आपका जो प्रश्न है, वह कैसे औचित्य का प्रश्न बनता है ?आप अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट कर दें । वह भी अपने आसन पर जाकर । यदि इस तरह से आप अपनी बात कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा । घटना कैसे घटी, कौन सी धारा लगी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं । नियमों के अंतर्गत यह औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है इस पर आप अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट कर दें । विधायकों के सम्मान की रक्षा के लिये आप जितने तत्पर हैं, उससे ज्यादा मैं हूं ।

(नेता बिरोधी दल व श्री राम आसरे वर्मा जी डायस पर आये हुए अपने दल के विधायकों को समझा-बुझाकर वापस ले गये)

नेता विरोधी दल(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)-

मान्यवर, कुछ बातें आपके कक्ष में हुई थीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप श्री यदुनाथ सिंह जी को कुछ समय दे दें ताकि वह अपनी बात कह सकें ।

श्री अध्यक्ष-

श्री यदुनाथ सिंह जी मैं आपको मौका देता हूं, परन्तु आप ग्राह्यता पर बोलें ।

*श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर,यदि आज श्री राम प्रसाद जी यहां पर होते तो हो सकता है वह डिप्टी स्पीकर के कैन्डीडेट होते । हाऊस चल रहा है, परन्तु एम0एल0ए0 नहीं हैं । विधायक लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले, श्री ऊदल जी भी मिले। क्या कारण है कि विधायक को जेल में बन्द कर रखा है । यह कौन सा कारण है कि निर्वाचित होते ही विधायक को जेल में डाल दिया जाता है । उनका लड़का जो 10 वर्ष का है, जिसे (xxx) आदि का तो तमीज नहीं है, उसे जेल में डाल दिया जाता है तो, कोई महिला मिलने जाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है ।तुरन्त जेल में डालने के पीछे कोई साजिश रही होगी, सी0ओ0 को पुलिस अधिकारी को बदला गया फिर वहीं भेज दिया गया । सरकार को घोषणा किये तीन दिन हो गये लेकिन अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि इस सरकार का कहीं पर भी पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इनका कोई आदेश लागू नहीं हो रहा है। इसीलिये पीलीभीत जैसे काण्ड होते हैं । मैं चाहता हूं कि आपकी पीठ का नियंत्रण इस सरकार पर हो और इस मामले पर रिपोर्ट 6 तारीख की एसेम्बली में प्रस्तुत की जाय ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संसदीय परिपाटी का ताल्लुक है, आपके कक्ष में यदि कोई बात होती है, तो उसकी चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिये । मैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह-

आप केवल उपदेश दे रहे हैं, हमें उपदेश नहीं चाहिये ।

(घोर-व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल अगर कोई सुझाव शासन को दें तो उस सुझाव को प्राथमिकता देना हमारा दायित्व है। माननीय ऊदल जी हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, उनको प्राथमिकता देना अपना कर्तव्य समझता हूं । उनके बीच और माननीय मुख्य मंत्री जी के बीच अगर कोई वार्ता हुई थी, इससे आगे चर्चा न करना ही उचित होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट- (xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

अगर कोई बाधा है तो आपके कक्ष में चर्चा कर लेगें, सदन में चर्चा करना उचित नहीं समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय यदुनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया माननीय नेता विरोधी दल, श्री राम आसरे वर्मा जी, श्री प्रमोद कुमार जी (प्रतापगढ़) और श्री उदल जी से सम्पर्क स्थापित कर लें । यह प्रकरण राम प्रसाद जी का लगभग समाप्त हो चुका है । मैं केवल यह अपेक्षा करता था कि नियम 300 में आता है या नहीं, इस पर बोलें । आपने अपनी बात कही । जिस प्रकार सदन के प्रांगण में आये, उससे दुख हुआ, आपको भी हुआ होगा । अधिक से अधिक समय आपने लिया पर विषय पर नहीं लिया ।

मैं इस संबंध में यह व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्न संख्या-3 नियम 300 में ग्राह्य नहीं है ।

अब मैं सूचना संख्या-4 ले रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, यह सूचना कितने लोगों की थी ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो निर्णय हो चुका है, अब मैं आगे की सूचना ले रहा हूं ।

मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह एवं उनके मंत्रि-परिषद द्वारा शपथ ग्रहण के पश्चात् अयोध्या जाकर धर्मोन्मादी आचरण किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के पुनः खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सूचना संख्या-4, माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा,श्री अरविन्द प्रताप सिंह, अशोक कुमार, श्री राधेश्याम, श्री छोटेलाल यादव,श्री महराज सिंह यादव ने दी है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विषय में । माननीय वर्मा जी, प्रथमदृष्टया में यह सूचना नियम 300 में नहीं आती । आप मेरे शब्द "प्रथमदृष्टया" को ध्यान में रख कर सूचना दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, नियम 300 के अंतर्गत वह विषय भी आते हैं जो संविधान के अनुच्छेदों से या ऐसे विषयों से ताल्लुक रखते हैं जो सदन की कार्यवाही से थोड़ासा भी संबंधित हो । श्रीमन्, यह जो संवेदनशील मसला है और पिछले एक दशक से यह मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मसला हो गया है और श्रीमन्, इस अयोध्या मसले से हमारी राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जो हमारे प्रवासी भारतीय तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी भावनाओं से यह मसला जुड़ा हुआ है ।

श्रीमन् हम लोग जब सरकार में थे तब इस मसले को जिस तरह से तय किया जाना चाहिये था आज हमें खुशी है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की कार्यवाही में तो वही बात कही है कि आपसी विचार विमर्श से यह यह मसला तय करेंगे और इसका हल निकालेंगे, उसका हम स्वागत करते हैं । यही लोकतांत्रिक रास्ता है । संविधान की मर्यादा नहीं रखी जायेगी तो यहाँ जंगल का राज्य कायम हो जायेगा । अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । बाबरी मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।इस सम्बन्ध में न्यायालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है पूरी दुनियां ने तय किया है कि इस मसले का हल हम विचार-विमर्श से निकालेंगे लेकिन अभी 24 तारीख को वर्तमान मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण करने के बाद 25जून को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अयोध्या प्रस्थान किया और मुख्य मंत्री के नेतुत्व में विवादित स्थल पर खड़े होकर नारा लगाया "मन्दिर यहीं बनायेंगे" तो यह कौन सी संविधान की मर्यादा है और यहां किस संविधान का सम्मान उन्होनें लिया ? कैसा संविधान का सम्मान किया जा रहा है ?

विधान सभा में हम सब लोग संविधान के प्राविधानों के प्रारूप पर आज यहां बैठे हुए हैं और बहस कर रहे हैं । यह पूरा मंत्रि-मण्डल आज यहां संविधान के तहत बैठा हुआ है । जो संविधान की मर्यादा नहीं मानता, लोकतंत्र के अनुसार नहीं चलता है तो श्रीमन, आपके माध्यम से हम इस सरकार से अनुरोध और अपेक्षा ही कर सकते है लेकिन आपसे हम आग्रह कर सकते हैं कि सरकार को आप निर्देश दें कि वह इस प्रसंग पर अपनी मंशा सदन में स्पष्ट करे और आज जो अयोध्या में बावरी मस्जिद को डाइनामाइट से तोड़ने की बात की जा रही है तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

(सत्ता पक्ष की ओर से सदन मे शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, अब आप कृपया बैठें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

सरकार कहती है कि विचार-विमर्श से तय करेंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण किसी भी दिन शुरू हो जायेगा तो विचार-विमर्श की बात कहाँ रह जायेगी ? श्रीमन्, आपने भी पढ़ा होगा कि मंदिर निर्माण किसी भी दिन शुरू हो सकता है, कौन सी बात तब रह जायेगी ? उन नेताओं पर सरकार क्या रोक लगाने जा रही है? बैरीकेटर्स समाप्त किये जा रहे हैं । श्रीमन, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस संबंध में आप सरकार को निदेश दें कि बावरी मस्जिद की सुरक्षा हो और इस संबंध में सदन में दो घंटे की चर्चा आप करा दें, यही हमारी इच्छा है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसी विषय से संबंधित एक प्रश्न मैंने दिया था । आपने सभी का नाम पढ़ दिया, लेकिन मेरा नाम नहीं पढ़ा । मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि औचित्य का प्रश्न मेरा पहला आया होगा, लेकिन सूची मे मेरे नाम का पता नहीं ।

*वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, इस सम्वेदनशील और महत्वपूर्ण मामले को जिस रूप में स्वीकार किया गया है और जिस उत्तेजना के साथ बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अपनी बात रखी है, उसको सुनकर आश्चर्य होता है । मैं इस बात से सहमत हूं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है । माननीय वर्मा जी ने दो आपत्तियां उठायी हैं । एक तो यह आपत्ति उठाई कि मंत्रि मंडल की शपथ लेने के बाद सभी मंत्री अयोध्या क्यों गये? इस संबंध में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राम इस देश के राष्ट्रीय पुरुष हैं और अयोध्या जहां पर राम लला जी विद्यमान हैं....

(व्यवधान)

राम हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं । मान्यवर, हिन्दुस्तान के संविधान के बारे में कहा गया, राम के मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, या गुरुद्वारों में जाना साम्प्रदायिक काम नहीं है । हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कार्य करने की पूरी आजादी है जब से भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है, और इसीलिये जब मंत्रियों ने शपथ ली तो वे अयोध्या गये । वहां पर जाकर उन्होनें कोई ऐसा काम नहीं किया , जो संविधान की मर्यादा के प्रतिकूल हो । राम मंदिर का निर्माण.....

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर-व्यवधान)

मान्यवर, अब दूसरा बिन्दु है ।.....

(घोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें । बेनी प्रसाद वर्मा जी आप अपने दल के लोगों को शांत करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

एक बात और कहना चाहता हूं शपथ ग्रहण के बाद अब्दुल्ला बुखारी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये जाते हैं, तो उनकी आस्था का सवाल है ।

(घोर-व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अगर इस मसले को तोड़ मरोड़ कर रखा जायेगा तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसी भी मामले को वार्ता के द्वारा हल करना चाहते हैं ।.....

मान्यवर, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के भाषण को भी सुना होगा उसमें भी संकेत दिया है कि हम इसे वार्ता से हल करेंगे (व्यवधान) हम अपने "अल्पसंख्यक" भाइयों से कहेंगे कि राम लला का मंदिर यहां पर है कोई मस्जिद नहीं है इसलिये यहां पर राम मंदिर बनना चाहिये (व्यवधान) एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा वहां पर मस्जिद गिरा कर मंदिर बनाने का नहीं है । मैं समझता हूं कि मस्जिद तोड़ कर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी स्तर पर इरादा नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री बाबूराम यादव, श्री धनीराम वर्मा, श्री विश्वम्भर प्रसाद, श्री बलराम यादव आदि कई सदस्य सदन के मध्य आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री बलराम यादव-

यहां पर उत्तेजनात्मक भाषण देकर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों ने यह सरकार इस्तीफा दे आदि के नारे लगाये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करें । (व्यवधान) शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

मैं निर्णय दे रहा हूं । श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अरविन्द प्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री छोटे लाल यादव, श्री महाराज सिंह यादव की जो सूचना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विषय में है वह नियम 300 में नहीं आती है । अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री शिवकुमार बेरिया , श्री जगराम सिंह यादव,तथा कतिपय अन्य माननीय सदस्यों ने श्री राम प्रसाद (बांदा) श्री अशोक,सिंह(रायबरेली)तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित (उन्नाव) पर फर्जी मुकदमें कायम किये जाने के संबंध में सूचना दी है यह नियम 300 में नहीं आती अतः अग्राह्य है।

(एक बजकर 20 मिनट पर)

श्री राम आसरे वर्मा की मंत्रि परिषद द्वारा शपथ-ग्रहण के तुरन्त बाद अयोध्या जाकर धर्मोन्मादी आचारण के सम्बन्ध में तथा न्यायपालिका की अवमानना

के सम्बन्ध में जो सूचना है वह नियम 300 में नहीं आती है अतः अग्राह्य करता हूं ।

(नारेबाजी एवं शोर होने पर)

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने एक बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी । एक बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, पहले आप अपने माईक की व्यवस्था ठीक करा लें चूंकि आपकी कोई भी बात सुनाई नहीं पडती है। जो भी मसले उठाये जाते हैं उनका जबाव माननीय सदस्य नहीं सुन पाते हैं (× × ×)

मैने नियम 311 के अंतर्गत एक सवाल दिया था लेकिन इस शर्त पर मैंने उसको वापस लिया था कि आप उस पर मुझे बोलने का मौका देंगे किन्तु आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जबकि सबसे पहले मेरी सूचना आपको मिली, इससे मैं वरीयता का पात्र था लेकिन फिर भी मेरा नाम आपने नहीं लिया (×××)

श्री अध्यक्ष-

श्री वर्मा जी मुझे लगता है ....

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जैसा कि मा0 वर्मा जी ने मुझे बताया है कि नियम 311 के अंतर्गत, इस सूचना के संबंध में वह आपसे मिले थे और यह भी उन्होंने बताया कि सम्भवतः यह पहले व्यक्ति थे जिनकी सूचना आपको पहले मिली और उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों ने सूचना दिया । आपने श्री वर्मा जी से कहा भी था कि नियम 300 के अंतर्गत आपको लाने की अनुमति देंगे । मैं निवेदन करूंगा कि श्री वर्मा जी की यह सूचना 311 की प्रथम आपको मिली और आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन दूसरे मा0 सदस्यों को उठाने की अनुमति देने के पहले नियमतः श्री वर्मा जी का नाम पुकारना चाहिये था और इनकी बात सुनना चाहिये था । मैने एक बात की श्री वर्मा जी से निवेदन कर दिया था कि मा0 अध्यक्ष के मन मे आपके प्रति कोई दूसरा भाव नहीं है, इसलिये आप इन्हें अवसर दें और इनकी बात को सुन लें जिससे कार्य आगे बढ़ सके । श्री वर्मा जी को आप समय देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल माननीय श्री वर्मा जी मुझे लगता है कि शोर के कारण आप सुन नही पाये क्यों कि बीच में मैने दो बार आपका नाम लिया था और मैं अपेक्षा करता था कि आप अपनी बात कहेंगे लेकिन यहां व्यवधान खडा हो गया और जैसा आपने कहा माइक ठीक नहीं है शायद उसके कारण हम सुन नहीं पाये । मैं तो विचार स्वातंत्र्य का हामी हूं लेकिन कहीं भ्रम हो गया है क्यों कि मैने तो दो बार आपका नाम पुकारा था । अभी जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कोई और उद्देश्य नहीं है, बल्कि शायद आपके अपना नाम न सुन पाने के कारण ऐसा हुआ है ।

क्रम संख्या-6 पर आपकी सूचना है "मंत्रि-परिषद द्वारा शपथ ग्रहण के तुरन्त बाद अयोध्या जाकर धर्मोन्मादी आचरण के सम्बन्ध में न्यायपालिका की अवमानना के सम्बन्ध में है लेकिन क्रम संख्या-4 के सम्बन्ध में श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी बात कही और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने जबाब दिया । इसके बाद वर्मा जी आपकी सूचना आती है और आपका नाम पुकारा था लेकिन शोर के कारण आप सुन नहीं पाये, इसलिये ऐसा हुआ ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपके

सामने सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई । श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय वर्मा जी ने जिन बातों को सदन में रखा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको बिलकुल उलट फेर करके सदन में रखने की कोशिश की जिससे सदन में वह अव्यवस्था फैल गई । उनका यही कहना था कि यह सदन और यह सरकार संविधान के अनुरूप ही चलेगी किन्तु उस पर गुप्ता जी ने कहा कि हमारी आस्था अयोध्या में है इसलिये हम वहां गये । हमने उसमें कोई संविधान की हत्या नहीं की गुप्त जी व्यक्तिगत रूप से जाएं, जा सकते है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । क्यों कि हम अपने धर्म के अनुसार मंदिर या मस्जिद में जाते हैं और इसका हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है, लेकिन हिन्दुस्तान का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और उसका आधार धर्मनिरपेक्षता है और आप सब यानी सरकार धर्म निरपेक्ष रहने के लिये संविधान से बंधे हुए है । कल्याण सिंह वहां अकेले नहीं गये, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार वहां गई और केवल दर्शन करने ही वह नहीं गई, वहां यह नारा भी लगाया कि ... राम लल्ला हम आये हैं मंदिर यहीं बनायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं जहां विपक्ष के सदस्यों से शान्ति की अपेक्षा करता हूं आपसे भी यही चाहता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वहां पूरी सरकार गई और कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं गया तथा वहां सबके द्वारा एक नारा लगाया गया कि राम लल्ला हम आयेंगे और मंदिर यहीं बनायेंगे । न्यायालय का इसमें यह स्टे भी है कि उस बाबरी मस्जिद में कोई मुस्लिम समुदाय का भी व्यक्ति नहीं जाएगा । किन्तु मंत्रिमण्डल में जो एक मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्ति भी हैं उनको भी उन्होंने अपने साथ ले जाने की आवश्यकता समझी और उन्हें बाबरी मस्जिद में ले गये । जो सरकार इस तरह संविधान की हत्या करती है, संविधान में विश्वास नहीं करती है, उस सरकार को तत्काल आपको बरखास्त कर देना चाहिये, क्यों कि उस संविधान की शपथ लेकर यहां पर आए हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या पांच । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (1).....

श्री राम आसरे वर्मा-

इस प्रकार सदन नहीं चलेगा.(xxx) जिसको प्रथम मौका देना चाहिये था, उसको पहले आपने बुलाया नहीं और उसके बाद सारे सदस्यों ने अपनी भावनायें नहीं व्यक्त की और आप आगे बढ़ गये ।(xxx)

श्री अध्यक्ष-

जिस प्रकार राम गोविन्द जी ने भाषण दिया, वह वर्मा जी की सूचना में पढ़ रहा था और उसके उठने पर बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अपने विचार व्यक्त किये । वह चर्चा के लिये होता तो मैं उसपर घंटों चर्चा कराता । आप समझते हैं प्रक्रिया पालन में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता दें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

आपने तो सारी परम्पराओं को ताक पर रख दिया ...

श्री अध्यक्ष-

परम्पराओं को ताक पर रखने की बात नहीं है । जो कार्यसूची है उसको मैं आपके सहयोग से चलाने का प्रयास कर रहा हूं ।

नोट:-(xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, अभी 24 जून को कल्याण सिंह सरकार ने शपथ ग्रहण की । संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखने की

श्री अध्यक्ष-

मैं यह मानकर चल रहा हूं । अगर मैं गलत हूं तो आप सूचित करें । आपकी सूचना को मैने नियम 311 में लेने के लिये कहा था ।

श्री राम आसरे वर्मा-

जब मेरी बारी आई तो आप ऐसा कह रहे हैं ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, यह जो प्रकरण सामने आया है जैसा कि अभी श्री राम आसरे वर्मा जी कह रहे थे । इसके बारे मे यह निर्णय हुआ था कि एक घण्टे की चर्चा होगी । मैं समझता हूं मेरे सभी साथी स्वयं श्री गुप्ता जी भी इससे सहमत होंगे । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सब लोगों ने आपसे निवेदन भी किया और इसके लिये करीब-करीब सहमति हो गयी थी । इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि श्री वर्मा जी की बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

श्री ऊदल जी ठीक कह रहे हैं । नियम 300, 301, 311 के हिसाब से ही सूचनाएं ली जा रही थीं । अभी यहां पर शोर हो जाने के कारण गड़बड़ी हो गई । मैने वर्मा जी का नाम इसलिये लिया था । संभव है उन्हें सुनाई न दिया हो जैसा कि अभी उन्होंने कहा था कि आपके माइक में कुछ गड़बड़ी है । हमें आपकी बात सुनाई नहीं देती है । सारा कार्यक्रम क्रमवार ही हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता-

श्री ऊदल जी ने जो बात कही वह ठीक है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस महत्वपूर्ण मसले पर पैरा 11 में उल्लेख मिलता है । इस मसले पर 5 दिन लगातार चर्चा हो सकती है । चर्चा के लिये समय देने का एक लाभ होगा ।

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। नियम 311 देखने की कृपा करें । इसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय। मान्यवर, सन् 1977 से हम लोग साथ-साथ बैठते हैं । किस नियम को निलम्बन किये जाने की वह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं । वह कौन सा नियम है वे बतायें ताकि मैं उसे पढ़ लूं ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, नियम 311 के अंतर्गत नियमों का निलम्बन करने की व्यवस्था की गई है । नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव कोई भी सदस्य कर सकता है । आज यह सत्ता में पहुंच गये हैं इसलिये उल्टी धारा बहने लगी है । मान्यवर, आप पहले ही कार्यवाही देख लें । मैं इन्हें नजीर के रूप में पेश करता हूं। कई मौके ऐसे आये हैं जिनमें नियम 311 के अंतर्गत इन्होंने नियमों का निलम्बन करके कोई विशेष लोक महत्व का विषय लाने की मांग की है । उसी के तहत नियम 311 के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया जब एक समझदारी बन गई 311की फिर प्रश्न नहीं उठता है । आपने औचित्य के प्रश्न के रूप में इसको उठाने की अनुमति दी है। मैं केवल 300 औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं । मान्यवर, 24 जून को इस सरकार ने शपथ ली ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आप बैठ जाएं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा लें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाने के बाद मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

(शोरगुल)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैने संसदीय कार्य मंत्री जी को ध्यान से सुना । जब यह विपक्ष में थे, तो सब लोग इन्हें नियमावली का माहिर मानते थे । आपका एक निर्णय हो गया । माननीय ऊदल जी ने कहा कक्ष में बात हो गई । उसका जिक्र माननीय गुप्ता जी को नहीं करना चाहिये था अगर जिक्र किया है तो नियम 314 भी देख लें ।"अध्यक्ष के निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती"। मान्यवर, इसमें आप व्यवस्था दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को संसदीय परम्पराओं का अनुसरण करना चाहिये । आप किसी भी नियम को निलम्बित करके किसी भी विषय पर चर्चा मंजूर कर सकते हैं । मान्यवर, संसदीय इतिहास में औचित्य का प्रश्न नामंजूर नहीं किया गया है । इसलिये इसको आप सुन लें और ग्राह्यता पर आदेश दे दें । मान्यवर, हम इसमें आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

इस बात को सदन के संज्ञान में लाने के बाद भी वर्मा जी अपनी बात को लाना चाहते हैं ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, 24 जून को माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार ने शपथ ग्रहण की । संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त की । राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्य बनाने की कसम खाई । और 25 तारीख से इसको तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया । सारे मंत्री और मुख्य मंत्री जी एक साथ अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में गर्भस्थल में पहुंचे । मान्यवर, वहां इन्होनें जिस तरह से धर्म विशेष का वातावरण बनाया वह चिन्ता का विषय बन गया । वहां कहा गया कि "मंदिर वहीं बनायेंगे", लेकिन एक भी शब्द मस्जिद के लिये नहीं कहा गया, जिस पर दुनिया की नजर लगी है अगर यह मस्जिद के बारे में भी कुछ कहते तो हम इनकी सराहना करते ।

(व्यवधान)

इन्होने मान्यवर, एक धर्म विशेष के लोगों के बीच घिरकर मंदिर की बात कह दी । जो सारे प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिये भय और असुरक्षा का कारण बन गई । दूसरा पहलू संविधान के स्वरूप का है। इस संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के विरूद्ध इन्होने जानबूझकर पहला ही कदम उठाया। हम लोग जिस संविधान के तहत यहां बैठे हैं, जिस संविधान के तहत यह विधान सभा बनी, उसी संविधान को इन्होनें रौंदना शुरू कर दिया। इनका पहला कदम जो पड़ा वह संविधान को रौंदने से शुरू हुआ । न्यायपालिका का प्रकरण चल रहा है, उसकी फिक्र इन्होनें नहीं की । इन्होनें न्यायपालिका की अवमानना की । इन्होने संविधान की घोर अवहेलना करके अल्पसंख्यकों के प्रति असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया । इससे बड़ा चिन्ता का विषय और कोई नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न मेरा इसलिये बनता है कि चूंकि संविधान की मान्यताओं और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार आचरण करना हम सबका फर्ज बनता है लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उसका उल्लंघन हो रहा है । जब सत्ता

पक्ष की तरफ से उसका उल्लंघन होने लगे तो औचित्य के प्रश्न के लिये इससे बड़ी और मिसाल कौन होगी ? मान्यवर, न्यायपालिका का भी उल्लंघन हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अहम मसले के ऊपर आपकी क्या व्यवस्था है । मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को जो एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जुड़कर चलती है, और उन्हीं का नारा लगाती है, उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । मान्यवर, आप व्यवस्था दें, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस मस्जिद के बारे में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे । (शोर) इस मस्जिद को यह तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मंदिर बनाने के नाम पर इन्होंने मस्जिद तोड़ने की तरफ हाथ उठाया तो इनके भी हाथ तोड़ दिये जायेंगे। (शोर) मान्यवर, मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अगर इनके हौसले इतने बुलन्द हैं कि मस्जिद की तरफ नजर उठाना चाहते हैं तो मान्यवर, धर्म निरपेक्ष ताकतें उन नजरों को फोड़ने का दम रखती हैं । मस्जिद बचायी जाय, मंदिर के निर्माण का विरोध कोई नहीं करता, लेकिन मस्जिद को तोड़ने का अधिकार आपको नहीं दिया जायेगा । सत्ता में बैठकर अगर आप अपने अधिकार का प्रयोग मस्जिद तोड़ने के लिये करना चाहते हैं तो यह नहीं करने दिया जायेगा । अगर मंदिर बनाने के लिये कुरबानी की बात ये कर सकते हैं तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि मस्जिद को बचाने के नाम पर अगर अनेकों कुरबानियों की जरूरत होगी तो दी जायेंगी । (शोर)

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)(जय श्री राम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इन शब्दों के साथ इसके महत्व को आपके सामने रखते हुए ग्राह्यता के बिन्दुओं को रखते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि इनको ग्राह्य करेंगे और इस पर अपनी व्यवस्था देंगे ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं केवल तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उसके बारे में सरकार यह नहीं कह सकती कि वह मंदिर है या मस्जिद है ।

(शोर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो बात उठाई उसको मैंने बडे ध्यान से सुना तथा माननीय चौधरी जी की बात को मैने सुना था। उनका कहना है कि मुसलमान मंदिर में क्यों चला गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम इतने पिलपिले नहीं है कि मुसलमान के जाने से दब जाते हैं। (शोर) हमारी सरकार ने जिस पार्टी के संस्कार हम लेकर आये हैं, हम हिमालय पहाड़ से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जन मानते हैं । फिर भी हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमने शिलान्यास की पहली ईंट हरिजन से क्यों रखवायी । हम हरिजन, सवर्ण, हिन्दू, मुसलमान में कोई भेद मानने को तैयार नहीं हैं । मान्यवर, अब दूसरी बात मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी के भाषण के बारे में कहना चाहता हूं कि मैने अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं किया कि मस्जिद तोड़ना चाहते हैं । माननीय राम आसरे वर्मा जी का ऐसे संवेदनशील मामले में (घोर-व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, सरकार के एक जिम्मेदार मन्त्री होने के नाते इनको जो बातें नहीं कहनी चाहिये थीं, ये वह कह रहे हैं । क्या यह जिम्मेदारी की बात है कि ये कहते हैं कि वह मस्जिद नहीं है । ये सच्चाई को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं । इनको इस तरह की बातें करने से रोका जाय। सारे माननीय सदस्य इस बात से चिन्तित हैं कि माननीय गुप्ता जी ने कहा कि वहां मस्जिद नहीं है। अगर इस तरह कोई बात उन्होने कही है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैने अपने भाषण में या मेरे किसी नेता नें सदन के अन्दर या बाहर मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कही ।

(घोर व्यवधान)

यही गलत भावना थी भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की । ये सदन में मस्जिद तोड़ने की बात कह कर लोगों की भावनाओं में विद्वेष फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं ....

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री जी के आचरण को देख लें । वही अव्यवस्था कर रहे हैं । सारे सदन को अपने भाषण से ..

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे । वह इस मामले को तथ्यों से परे रखकर भावनात्मक बना रहे हैं । जो इस सदन का सदस्य न हो, यहां पर उसका नाम नहीं लेना चाहिये । इन्होने माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर एक उदाहरण दिया है....

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैनें भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहा है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, माननीय ऊदल जी ने जो सुझाव दिया है, वे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैने सुझाव स्वीकार कर लिया है ।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो स्वयं नियमों के बड़े जानकार हैं और जिन्हें मैं बड़ा मर्यादित समझता हूं, मगर इन्होने ऐसा विषय उपस्थित कर दिया, जिसकी मुझे इनसे अपेक्षा नहीं थी । आपने यह कहा कि राम राष्ट्रीय पुरुष थे।मैं समझता हूं राम के लिये इकबाल ने उन्हें इमामे हिन्द कहा था । राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे , राम ने कभी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया , मगर आज इस सदन में बैठकर राम के विषय में एकतरफा बात हमको नहीं करना है । वह राम न केवल भारत के थे, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की महान विभूतियों में से थे, उस राम के नाम पर किसी प्रकार की चर्चा उठती है, तो मैं समझता हूं उसे पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना होगा। श्री वर्मा जी ने एक सवाल उठाया, उन्होने आशंका व्यक्त की कि कहीं डाइनामाइट लगा कर मस्जिद गिराया जायेगा ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

इस महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर एक जांच समिति आप बना दें । मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे माननीय सदस्यों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप पर होता है । अगर किसी माननीय सदस्य के मन में शंका है, तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि पक्ष और विपक्ष की एक संयुक्त समिति आप बना दें जो यह देखे कि क्या किसी प्रकार की मस्जिद के ऊपर आंच तो नहीं आने वाली है । मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप इस प्रकार की समिति बनाने की घोषणा करें ।

(घोर व्यवधान)

मैने माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात को बड़े ध्यान से सुना । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी बात को सुनें और मेरी बात सुनने के बाद मेरे प्रश्नों का जबाब दें । आज यह समस्या देश की नहीं है, सम्पूर्ण विश्व की है । इस देश के मुसलमानों को अलग रखकर अलगाव नहीं कर सकते है। अगर हिन्दू रहेगा तो मुसलमान भी रहेगा ।

(व्यवधान)

जो केस आपका सब-जूडिस है,आप न्यायविद् हैं, आप संविधान के ज्ञाता हैं। इसमें रेसजूडिकेटा नहीं हो सकता है। आपको इस तरह से व्यवहार यहां पर नहीं करना चाहिये । अगर आपसी समझौते से तय हो सकता है, तो इसको आपसी समझौते से तय करायें मैने स्वयं वहां पर देखा कि मस्जिद की दीवार से रामलला की मूर्ति लगी है, तो क्या दोनों की दीवार वहां पर जुड़ी नहीं होगी । अगर आप मन्दिर बनाना चाहेंगे तो क्या मस्जिद की दीवार नहीं टूटेगी ? अगर किसी प्रकार से मंदिर को बनाने का काम और मस्जिद को तोड़ने का काम किया, तो मैं और मेरा दल सम्पूर्ण विपक्ष के साथ इसका विरोध करेगा । मैं तो यह समझता हूं कि आपने राम राज्य की कल्पना की है, राम के राज्य के अंदर सबको सुख दिया गया, रामराज्य के अंदर कोई दुखी व दीन होने की बात नहीं हुई लेकिन यहां सवाल आया, मै इस कार्यवाही को देखना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं ..

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें ।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें । माननीय नेता विरोधी दल ने अपना सुझाव दे दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो एक परम्परा है कि जब नेता सदन या नेता विरोधीदल बोलते हैं तो उनको समय की सीमा से नहीं बांधा जा सकता है, आपने नेता विरोधी दल को टोका है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय आपको टोकना कहां तक उचित है, यह तो आप निर्णय करें । एक मैं जो विशेष बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मंदिर व मस्जिद का झगड़ा न्यायालय में विचाराधीन है तो उस समय उस मस्जिद के बारे में माननीय मंत्री जी जो जिम्मेदार मंत्री हैं के मुंह से यह निकलना कि मस्जिद नहीं है न्यायपालिका की अवमानना है, क्या उनको यह अधिकार मिला है, इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष-

आप शायद मेरी पूरी बात सुन लेते तो इसका अवसर न आता ।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

जब अध्यक्ष पीठ से कोई बोलता है तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है । माननीय नेता विरोधीदल ने एक बात कही और इस बात के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहमत हैं और नेता विरोधी दल भी सहमत हैं कि इसी विषय पर

चर्चा हो जाय । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विवाद को अभी रोक दिया जाय, यह प्रकरण समाप्त किया जाय, इस पर चर्चा स्वीकार हो चुकी है तो ऊदल जी उसपर बार-बार मंदिर है, मस्जिद है, दीवार है टूटेगी, नहीं टूटेगी उठाने लगे, शान्ति व्यवस्था पर खतरा हो गया सभी विषयों पर चर्चा कर लिया ।

(व्यवधान)

जब चर्चा होनी है तो इनके दोष गुण की बात न करें,यही मेरा निवेदन है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था से सहमत हूं । आप कार्यवाही को देख लें अगर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि मस्जिद नहीं है तो इसको कार्यवाही से निकाल दें । मैं आपकी व्यवस्था से संतुष्ट हूं ।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, जो प्रश्न अभी माननीय सदन के समक्ष उपस्थित हुआ और जिस पर चर्चा हो रही है बहुत देर से । मैं जानता हूं कि न तो कोई भी वायदा इन्होने पूरा किया है और न तो कोई मंदिर बनेगा और न ही मस्जिद को तोड़ सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्याम नारायण

मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर अव्यवस्था क्यों पैदा की जा रही है ?

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

किसी दिन आप सबसे नेता विरोधीदल और नेता सदन से परामर्श लेकर 2 घंटे की इस पर चर्चा स्वीकार करता हूं, इस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आपने 2 घंटे की चर्चा स्वीकार की है, यह अच्छी बात है, लेकिन वह शब्द जो कह गये थे, उनको कार्यवाही से निकालने के लिये आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब दूसरी भी मदें हैं उनको लेना है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आज की कार्यवाही की बात है, उसको देख लें । कार्यवाही आप निकालवाकर देख लें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

(× × × × × × ×)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, सुन लें ।

नोट- (×××)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (डा0 दिनेश जौहरी)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, (xxxxx)

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, यह जो आपकी अनुमति के बिना बोला जा रहा है यह कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपकी नियमावली में सदस्यों के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्राविधान है ।

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप जब चर्चा का समय निश्चित करने जा रहे हैं फिर यहां अभी चर्चा क्यों हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या है, क्या नहीं है, यह सब चर्चा में आ जायेगा । आप लोग बैठें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, (xxxxxxx)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, क्या आपने इसकी अनुमति दी है ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें । यह नहीं लिखा जायेगा । कोई आरोप होगा तो उसे देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि..

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, जब आप इस पर चर्चा स्वीकार कर रहे हैं तो फिर यह बिना अनुमति के क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 291(क)की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें स्पष्ट प्राविधान है कि अगर कोई सदस्य किसी पर आरोप लगाता है तो उसका स्पष्टीकरण देने का अधिकार इसमें है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, आपने अनुमति नहीं दी है तो यह कैसे चर्चा हो रही है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन् मैंने यह बात कही है कि नियमावली में भी इस बात का उल्लेख है स्पष्टीकरण देने का...

नोट- (xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, इन्होने हमारे ऊपर आरोप लगाये है, वह गलत गलत है । मेरी मंशा कहने की क्या नहीं तथा माननीय मंत्री जी दूसरा समय लिये हमारा अधिकार है स्पष्टीकरण देने का ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम आसरे वर्मा व श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो नोटिस औचित्य के प्रश्न को बनाकर दी कि इस प्रदेश की मंत्रि-परिषद को..

(2 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आरोप लगाये हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है । जब इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार हो चुकी है तो इस पर इस पर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपकी हर बात शिरोधार्य है । आप संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं एवं प्रक्रिया नियमावली के ज्ञाता हैं आप एक मिनट का समय दे दें, ताकि जो आरोप लगाये गये हैं उसका स्पष्टीकरण दिया जा सके । अभी हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है तथा कोई जा नहीं सकता है तो यह कोर्ट से निषेधाज्ञा लागू है कि दो सौ किलोमीटर तक कोई...

(व्यवधान)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर)-

मान्यवर, यह आपकी अनुमति के बिना बार-बार बोले जा रहे हैं जब कि इस विषय पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार की जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रकरण अब समाप्त होता है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, नियम 300 के अंतर्गत चर्चा तो नहीं हो सकती है क्यों कि इसमें इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है । आपने इसे नियम 300 से बदलकर नियम-56 के अंतर्गत चर्चा का प्राविधान किया है आप श्री राम गोविन्द चौधरी जी की बात सुन लें क्यों कि...

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, नियम-300 के बाद हमें श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी करनी है, यह सारे विषय इसमें आ जायेंगे, चर्चा का समय भी खराब हो रहा है । कृपया आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करा दीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विजय सिंह राणा जी कुछ निर्णय हो गये हैं । यह सदन सदस्य की भावनाओं से अवगत होना चाहता है, इस पर अपने विचार रखना चाहता है...

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मै आपकी बात से सहमत हूं । जो बात अभी कही गई है उसका स्पष्टीकरण अभी हो सकता है यह चर्चा के समय नहीं हो सकता है । मान्यवर, मैं केवल स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हूं । मान्यवर, मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हू ।

श्री अध्यक्ष-

कोई मंदिर कह रहा है, तो कोई मस्जिद कह रहा है । जब चर्चा होगी, तब सारी बातें सामने आ जायेंगी ।कृपया इस प्रकरण को आप लोग यहीं समाप्त करिये ।

विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-5 ले रहा हूं । सदन को सूचना देनी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमावली के नियम 9 (1) के अंतर्गत ग्यारहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये मैने बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 1991 की तिथि निर्धारित की हे । तदनुसार दिनांक 7 अगस्त, 1991 को होगा । विधान सभा का कोई भी सदस्य दिनांक 6 अगस्त, 1991के मध्याह्न 12.00 बजे के पूर्व किसी समय उक्त निर्वाचन के लिये किसी भी दूसरे सदस्य के नाम निर्देशन हेतु एक नाम निर्देशन पत्र सम्यक रूप से भरकरएवं हस्ताक्षरयुक्त रूप से सचिव, विधान सभा को प्रस्तुत कर सकेंगे । नाम निर्देशन प्रपत्र सचिव विधानसभा के कार्यालय कक्ष से किसी भी कार्यदिवश में पूर्वान्ह 10-30 बजे से अपरान्ह 4-00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं ।

विधान सभा की विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक और दूसरी सूचना भी देनी है।

उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा का वर्ष 1991-92 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा बिमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

इसके नाम निर्देशन करनें की अंतिम तिथि व समय मंगलवार, 6 अगस्त, 1991 को अपरान्ह 4.00 बजे तक होगा । नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि का समय बुधवार 7अगस्त,1991 को अपरान्ह 3-30 बजे(सचिव,विधान सभा

के कार्यालय कक्ष में) तथा नामों की वापसी की तिथि तथा समय शुक्रवार, 9अगस्त, 1991 को अपरान्ह 4.00 बजे तक होगा । निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान (क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिये सोमवार, 12 अगस्त, 1991 को होगा । (ख)मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के लिये मंगलवार, 13 अगस्त,1991 को विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान सभा,लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा । उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा । उक्त प्राविधानों संबंधी नाम निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, इस विषय में परम्परा यह रही है कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल अपने सुझाव दे देते हैं और आप मनोनीत कर देते हैं । इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव कर दें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, इस निर्वाचन की जगह पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल आपको मनोनीत करते हैं ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जो सुझाव माननीय राणा जी ने दिया है, मै उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं ।

(श्री मोहम्मद आजम खां, श्री धनीराम वर्मा व अन्य कई समाजवादी जनता पार्टी के सदस्यों के डायस के पास खड़े हो जाने व एक साथ अपनी बात कहने के कारण सदन में अत्यधिक शोर हो गया)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-7 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में कार्य करने हेतु विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (डाक्टर दिनेश जौहरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1)के खण्ड (ज) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्थातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज)के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर' के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानुपर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (डा0 दिनेश जौहरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन),1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नोटः- उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 3 अगस्त ,1991 के असाधारण गजट के, विधायी परिशिष्ट के भाग 3 के खण्ड (क) में प्रकाशित है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तओं की सूचनाएं

(श्री मो0 आजम खां के सदन के "वेल"पर आकर खड़े रहने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 13 आज दिनांक 2.8.91 को नियम-56 के अंतर्गत कुल कार्य स्थगन की 19 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से निदेश संख्या-15 के अनुसार निम्नलिखित 4 सूचनाएं चयनित की गई हैं । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ), श्री लीला राम शर्मा, श्री हरिचरन यादव, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह की लगभग सम्पूर्ण प्रदेश के अवर्षण के कारण सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसी विषय पर अन्य सूचनाएं श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अखिलेश ,श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राम गोबिन्द चौधरी तथा श्री अमरेश चन्द्र जी की है ।

दूसरी सूचना श्री भगवन्त प्रसाद जी की दिनांक 12 जुलाई, 1991 को पीलीभीत जनपद में कुछ सिख तीर्थ यात्रियों की आतंकवादी के नाम पर फर्जी मुठभेड में मारे जाने के सम्बन्ध में है । श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की भी सूचना इसी विषय पर है ।

(मो0 आजम खां के सदन के "वेल" पर खड़े होकर जोर-जोर से कहने लगे कि मै मुसलमान हूं, मुझे समय दिया जाय जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

मान्यवर, मैं बोलूंगा ।

(घोर व्यवधान)

मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश के सामने जो विशाल समस्या है सूखे के सम्बन्ध में ....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

श्री मोहम्मद आजम खां अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री मोहम्मद आजम खां के सदन के "वेल" पर खड़े रहने पर)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ)-

मान्यवर, आप सदन व्यवस्थित करा दें, मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

पहले दो सूचनाएं और बाकी बची हैं, उनका ब्योरा दे दूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आजम खां साहब अकेले हैं, उनको सुन लें उसके बाद सदन व्यवस्थित चलेगा, यह हमारी जिम्मेदारी हैं ।

(श्री मोहम्मद आजम खां के सदन के "वेल" पर खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब ! आप बैठ जायं ।

नेता बिरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी किसी काम से आपके कक्ष में गया था, बहुत बातें कानों में पड़ी, आपको तो हम लोगों से भी ज्यादा चाहते थे, आपको तो स्वयं उत्साहवर्धन करना चाहिये । यह अकेले खड़े हैं, हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं कि उनको भी बोलने का अवसर दें ।

(घोर व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको विशेषाधिकार है, आजम खां साहब को भी बोलने का अवसर दें । किसी माननीय सदस्य के अधिकार का हनन न किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

आप हमारे संरक्षक हैं, गार्जियन हैं ।

हम सब लोग बोल चुके हैं । मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य मोहम्मद आजम खां अल्पसंख्यक हैं उनकी भी बात आप सुनें निष्पक्ष न्याय हो सकेगा । अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप उन्हे बोलने का अधिकार अवश्य दें ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, माननीय आजम खां जो कि इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं उन्होंने मांग की थी कि हमें बोलने का टाइम दिया जाय उन्होने यह कहते हुए बोलने के लिये समय मांगा था कि हम मुसलमान हैं इसलिये मुझे बोलने के लिये समय दिया जाय । उन्होंने यह बात कह कर संविधान की मर्यादा का हनन किया है। बार-बार ही नहीं बल्कि कई बार उन्होने अपनी इस बात को रिपोर्ट किया है कि मुसलमान सदस्य होने के नाते हमें बोलने का अवसर दिया जाय ।

एक सदस्य-

ये सदस्य होने के नाते बोलना चाहते हैं या मुसलमान होने के नाते ।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी क्या वही परम्परा बनाना चाहते हैं कि एक मिनट में बजट पास हो जाय ?

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय नेता बिरोधी दल ने, माननीय सदस्य मोहम्मद आजम खां को बोलने का अवसर दिये जाने की बात कही है । जिस प्रकरण को समाप्त करने के बाद ही उसमें फिर माननीय सदस्य रामपुर अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन यह बात आपत्तिजनक है कि आप यह कहें कि आप मुसलमान हैं इसलिये आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है । धर्म के आधार पर किसी प्रकार के, भेदभाव की अपेक्षा आप न करें, कि धर्म के आधार पर किसी तरह का पक्षपात होगा, लिहाजा यह बात ठीक नहीं है । आप अपने मन से इस बात को निकाल दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन् अपनी व्यवस्था देने के पहले आप मेरी बात को सुन लें । कोई भी सदस्य अपनी बात कहना चाहता है, आपसे आग्रह करता है । आपको सदस्य की भावना पर जाना चाहिये, शब्द पर नहीं जाना चाहिये । माननीय आजम खां बोलने के लिये आग्रह कर रहे थे इसलिये आपको उनके शब्दों को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये । जो मसला अभी चल रहा था आप मा0 आजम खां को सुन लेते उसमे कई कमियां हैं, उसे सुने बगैर आप कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं । इसीलिये वे खड़े हुए थे । उनके शब्द टेक्नीकलटीज पर न जाकर आप उनको कृपा पूर्वक बोलने का अवसर दे दें, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

(घोर व्यवधान)

सत्ता पक्ष का किस तरह का दायित्व होता है, अगर यह उत्तेजनात्मक भाषण करेंगे, तो इसका असर सदन पर पड़ेगा । सत्ता पक्ष की ओर से लोगों को सुन लिया और इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आजम खां के मन में क्या आयेगा कि अल्प संख्यक होने के कारण बोलने नहीं दिया जा रहा है । आजम खां का जो प्रोटेस्ट था वह इन लोगों के खिलाफ था, आपके खिलाफ नहीं था ।

(मोहम्मद आजम खां द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े रहने पर)

---

* वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

श्री आजम खां इस सदन के "वेल" में खड़े हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने स्थान पर चले जायें ।

वित्त नियोजन एंव संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, हम आजम खां के विचारों को सुनकर लाभान्वित होना चाहते है, लेकिन उसका समय है । आपने दो घंटे की चर्चा एलाऊ की है और उस समय वह अपना भाषण दे देंगे । मैं आजम खां जी से निवेदन करूंगा कि वह इस समय अपने स्थान पर चले जायें और वह उस समय अपनी बात रख लें, इस समय अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आजम खां एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । आप इनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आपने माननीय आजम खां की व्यवस्था उठाने के लिये कहा, लेकिन आपने वही बात कही है , जो माननीय नेता विरोधी दल ने कही है । उन्होने कहा है कि उनको मौका दिया जाये । मैं आजम खां जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने स्थान पर चले जायें । जहां तक मौका देने की बात है, तो उचित अवसर आने पर उनको मौका अवश्य दिया जायेगा । मैं निवेदन करूंगा कि आजम खां अपना स्थान ग्रहण कर लें और कार्यवाही चलने दी जाये । आपके पास बहुत से अवसर हैं । आपको बोलने के अवसर से वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(शोर होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

आपकी व्यवस्था सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री अध्यक्ष-

आजम खां जी पहले अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री आजम खां अपने स्थान पर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं उस प्रकरण पर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उस पर आपने आपत्ति की है ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन जब बोलने का अवसर होगा तभी बोलेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री आजम खां सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अकबर-

आप सदस्यों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं । इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अकबर सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 की सूचनाएं ले रहा हूं । तीसरी सूचना श्री यदुनाथ सिंह, श्री विजय सिंह ,श्री राम खिलाड़ी और श्री रामचन्द्र की दो मई, 1991 को डाला फैक्ट्री के श्रमिकों के ऊपर नर संहार किये जाने के संबंध में हैं ।....

चौथी सूचना श्री शिव कुमार बेरिया, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अशोक कुमार , श्री छोटे लाल और श्री राधेश्याम वर्मा की राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व उ0प्र0 सचिवालय संघ ने मुजफ्फरनगर में पुलिस कर्मियों को मार गिराने एवं बंधक बनाये रखने वालों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समझौता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । उपरोक्त विषय पर ग्राह्यता हेतु सुनूंगा ।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है, यह विषय किसी दल से संबंधित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सूखे पर चर्चा होगी ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

सूखे पर जो बात होगी यह किसी दल का विषय नहीं है मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कहूंगा । यह विषय किसी दल से बंधा हुआ नहीं है, सम्पूर्ण प्रदेश का विषय है । पूरे प्रदेश में वर्षा कम होने के कारण चारों तरफ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार हो गयी है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

यह सरकार सूखे से निपटने के लिये बिजली नहीं दे पा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। इस पर चर्चा स्वीकार हो गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

वर्षा न होने के कारण पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह सरकार केवल नियमों से जीना चाहती है, असलियत नहीं लाना चाहती, यह पानी नहीं दे पा रही है, यह सरकार बिजली नहीं दे पा रही है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आप संसदीय प्रक्रिया से परिचित हैं ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

सूखे पर एक दिन चर्चा निर्धारित कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

समय निर्धारित कर दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

राजस्व की वसूली तत्काल रोक दें, इस सरकार की लापरवाही के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष-

अगले सप्ताह इस पर चर्चा होगी उस वक्त **इन** बातों का जिक्र करें ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि इस सरकार ने सूखे का सामना करने के लिये क्या उपाय किये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितना बिजली का उत्पादन बढ़ा है, सूखे का सामना करने के लिये कितना अतिरिक्त पानी दिया गया है, आज पेय-जल की समस्या उत्पन्न हो गयी है । पानी का जलस्तर नीचे चला गया है ।

श्री अध्यक्ष-

इन सारी बातों की चर्चा आप उस वक्त करें जब चर्चा होगी । यही बातें आपको उस वक्त दोहरानी पड़ेंगी जब सूखे पर चर्चा होगी ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)-

सरकार तत्काल राजस्व की वसूली रोक दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

*श्री नरेश अग्रवाल-

मैनें भी एक सूचना प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था पर दिया था प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिये कार्य-स्थगन के रूप में दिया था । इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी पर कातिलाना हमला हुआ वह सौभाग्य से बच गये । मेरा स्पष्ट कहना है कि इस सरकार में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों की जानमाल की सुरक्षा नहीं रह गयी है उनपर अत्याचार बढ़ गये है । कानून व्यवस्था का उदाहरण यह है कि यहां लखनऊ में ही परसों (व्यवधान) एक व्यक्ति को गोली मार दी गयी ।

(व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय-

मेरी भी सूचना थी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपकी सूचना के साथ-साथ श्री वंशीधर राज, श्री रामकृष्ण, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री हरिवंश सहाय, डा0 ब्रजभान यादव, श्री ऊदल, श्री हाजी अकबर, श्री राम ललित तथा श्रीमती शारदा देवी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की सूचनाएं नियम 56 में चर्यानित नहीं हो पायी हैं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आपका माईक ठीक नहीं है इसलिये आपकी बात सुनायी नहीं पड़ रही है इसलिये इसको ठीक करा लें ।

श्री ऊदल-

नियम 56 में मैने भी एक सूचना दी है, मुझे आप सुन लें ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, वर्मा जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने नियम 56 में अपनी सूचनाएं दी हैं जिन्हें आप ग्राह्यता पर सुन लें बाकी चर्चा होती रहेगी । जिन माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है उनको आप ग्राह्यता पर सुनने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

*श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं । पिछली विधान सभा में नियम 300 के अंतर्गत उन्होंने यहां थाना प्रभारी के खिलाफ औचित्य का प्रश्न उठाया था इसलिये वह उनसे नाराज हैं । माननीय सदस्य हारने के बावजूद वह अपने क्षेत्र में जन सेवा में लगे हुए हैं और जनसेवा के लिये घूमने जा रहे थे तो थाना प्रभारी ने उनकी हत्या की कोशिश की थी । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत शासन ने उनकी जान की रक्षा नहीं की है इसलिये मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

व्यवस्था का सवाल है । मैं व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि आप कितने मुकदमों की सुनवाई करेंगे । एक विषय को ही आप एक समय में लें । श्री विजय सिंह राणा ने सूखे पर सूचना दी थी इसलिये आप पहले उनको सुन लें चूंकि उन्होंने बहुत पहले सूचना दी थी ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, आपके कक्ष में मैने निवेदन किया था और विरोधी दल के कई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेतागण भी वहां मौजूद थे तथा मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे । आज भी हमारे दल के विधायक श्री राम प्रसाद सिंह जी इस बार चुनाव जीत गये हैं उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह -

मान्यवर, आप तो सूखे पर चर्चा करा रहे हैं किन्तु यह तो एक दूसरा ही विषय उठा रहे हैं । और जब उनके विषय पर चर्चा आई थी तब तो यह कहीं चले गये थे, थे नहीं । (व्यवधान)

श्री ऊदल -

मान्यवर, मैंने नियम 56 में इस पर दिया है। यह क्या बात हो रही है राम आसरे वर्मा जी । मेरा निवेदन है कि आप ग्राह्यता पर एक मिनट मुझे सुन लें और व्यवस्था देना आपका काम है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है । उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे गढ़े गये हैं। मैंने आपके कमरे में मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि जिस सी०ओ० ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मारा पीटा है, उसको हटा दें और जांच कर कार्यवाही करें। उसको तो सरकार ने हटा दिया, उसके लिये धन्यवाद लेकिन यह जो फर्जी मुकदमे हैं उनको भी सरकार वापस ले ले ।

श्री अध्यक्ष -

यह नियम-56 का सवाल इस विषय पर नहीं है, इसलिये आप बैठ जायें। इसके बारे में आप संसदीय कार्य मंत्री से सम्पर्क कर बता दें ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता) -

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता था । नियम-56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं आपको प्राप्त हुई हैं परिपाटी के अनुसार जो शलाका में आई हैं उनको आप बता दें जिससे माननीय सदस्य इस पर तैयारी कर सकें । इसके बाद एक को आपको अपने विवेक के अनुसार सुनना है और चार को शलाका के अनुसार । तो मुझे प्रसन्नता होगी कि इस प्रकार आप उनको सुनें, उनको ग्राह्यता पर अपनी बात कहने का अवसर दें, फिर उस पर मुझे या मेरे किसी सहयोगी को सुन लें, जिससे सरकार का पक्ष आ जाये ।

श्री अध्यक्ष -

हमने चार चर्चित सूचनाओं की जानकारी दे दी । जिसमें पहली सूचना सूखे के बारे में थी, जिस पर 6 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । सर्वश्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़), लीलाराम शर्मा, हरिचरन यादव, सुरेन्द्र नाथ, श्याम सुन्दर शर्मा व नरेन्द्र सिंह, श्याम नारायण, अखिलेश, अशोक कुमार सिंह, राम गोविन्द चौधरी, अमरेश चन्द्र और भगवत प्रसाद जी की यह विभिन्न मिलाकर कुल 6 सूचनायें सूखे के बारे में थीं । मैंने पहले सोचा कि सबको पढ़ लूं, लेकिन तिवारी जी बोलने के लिये खड़े हुए तो मैंने उनसे निवेदन किया कि इसके बारे में चर्चा स्वीकार हो गई है ।

श्री बलराम यादव -

आप आज जैसे ही सदन में उपस्थित हुए, हमने आप से नियम-311 की सूचना के आधार पर कुछ मांग की और चूंकि प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हुई है मैंने कहा कि सदन की आज की कार्यवाही रोककर इस पर सदन में चर्चा कराई जाए । सम्भवतः हमारे नेता आपके कक्ष में गये थे, उन्होंने बताया कि नियम-311 की सूचनाएं 56 के साथ सुनी जाएंगी । तो मैंने जो सूचना दी थी 311 के अन्तर्गत, उसके बारे में आपके कक्ष में निर्णय हुआ था कि वह सूचना 56 में जोड़ दी जायेगी, तो उसको आप उसके साथ जोड़ दें, जिससे हमारा भी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनका विवरण मैंने दे दिया । इन विषयों से सम्बन्धित जो 31। की सूचनाएं हैं, वह भी इसमें ली जायेंगी ।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न संकट के सम्बध में, सदन की कार्यवाही रोक कर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग

*श्री लाल जी वर्मा-

पहले तो मेरा स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक कराने के पहले आप निर्देश दे दें ताकि यह ठीक हो जाये । मान्यवर, आज प्रदेश में भीषण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है । मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर ही यहां पर बोलूंगा । मैं मान्यवर, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं । पूरे प्रदेश में फसलें सूख गई हैं । रोपाई नही हो पा रही है । मान्यवर, आप स्वयं उस जनपद के रहने वाले हैं । फसलों की रोपाई नहीं हो पाई है, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है ।

किसान बिल्कुल असहाय हो गया है । ऐसी परिस्थितियों में वहां पर राहत का कार्य शुरू होना चाहिये था । वहां पर अभी तक सूखाग्रस्त क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है और न ही राहत कार्य शुरू किया गया है । वसूली का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है । अभी हमारे कुछ लोग वहां से आये थे बता रहे थे कि सलाखों के पीछे ले जाकर बन्द कर दे रहे हैं, वसूली के चक्कर में । मान्यवर, एक तरफ से तो हम सूखे से परेशान हैं, दूसरी तरफ जेलों में बन्द करने का कार्य किया जा रहा है । किसानों और बुनकरों और जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है । इस समय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें कार्यवाही करें । चर्चा करने की कार्यवाही करें इसके साथ ही साथ शासन को निर्देश देने का कष्ट करें कि वहां पर जो वसूली का काम हो रहा है, उसे तत्काल रोका जाय । नहरों में पानी नहीं चल रहा है । बिजली नहीं मिल पा रही है । इस संबंध में सरकार को तुरन्त निर्देश दें कि वहां पर पेयजल की समस्या तुरन्त दूर की जाय। यह सरकार जो ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है, इस उद्योग से हटकर जनहित का कार्य करे ।

श्री श्याम नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । हमारा जिला सूखे से बहुत प्रभावित है । सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि सूखे जैसी दैवी प्रकोप में राहत कार्य किये जायं । मान्यवर, अफसोस इस बात का है कि अब तक हमारे प्रदेश की सरकार प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर पाई है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी सम्भावित सूखे की बात कही गई है । पूरे प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई नही हो पाई है । पशुओं का चारा सूख गया है। पशु चारा बिना मर रहे हैं । भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । राज्य सरकार की तरफ से इन समस्याओं के निराकरण के लिये जो कार्य होना था वह नहीं हो रहा है। प्रदेश में कई योजनायें होती हैं जो अधूरी पड़ी हैं। योजनाओं के लिये पैसा आता है पर वह पूरी नहीं होती हैं । मान्यवर, आपसे निवेदन है कि सरकार को तत्काल आदेश दें कि वहां पर राहत कार्य करायें व जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूरा करें । मेरा आपसे निवेदन है कि यह तमाम वसूली के जो कार्य है उन्हें बन्द करायें । आप चर्चा के लिये चार दिन की बात कह रहे हैं तब तक न जाने कितने लोग जेल जा चुके होंगे और बर्बाद हो चुके होंगे । अतः वसूली तत्काल बन्द करायें और इसके बाद चर्चा हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)
(मंत्री जी के खड़े होने पर)

*श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, पहले माननीय सदस्यों को सुन लें तब इनको बुलवायें । तब वह सारी बातों का इकट्ठा जबाब दें ।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये मैनें सीमित प्रश्नों के लिये कहा था ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है । अन्यथा पहले आप इस सदन में देखते होंगे कि एक तरफ से सूखे की और एक तरफ से बाढ़ की आवाज उठती थी । एक तरफ आप सूखे से पीड़ित लोगों की बात सुनते थे, एक तरफ से आप बाढ़ पीड़ित लोगों की बात सुनते थे, कि मकान बह गये गांव के गांव बरबाद हो गये हैं । मान्यवर, आज प्रदेश में आप देखेगें कि पश्चिम से पूरब तक और उत्तर से दक्षिण तक सूखा पड़ा हुआ है । मुझे दुख इस बात का है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना भयंकर सूखा होने के बाद भी यह जन विरोधी सरकार आज तक उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी नहीं कर पाई है ।

हम चाहते हैं कि सदन का संरक्षण चाहते हुए आज सभी प्रदेश की जनता का संरक्षण चाहते हुए चर्चा कराई जाए । सभी माननीय सदस्य इस विषय पर बोलें । और आज सरकार इस सदन में घोषणा करे कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है । जब तक यह घोषणा नहीं होती है हमारा दायित्व है कि हम सब यहीं बैठें । जब तक प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करती है हम सब लौट कर नहीं जायेंगे । मान्यवर, पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है । पांच साल से बराबर सूखा चला आ रहा है । सूखे को झेलते-झेलते किसान की कमर टूट गई है । आज ऐसी स्थिति में प्रदेश की सरकार उसकी सहायता करने को तैयार नहीं है । यह जो मामला है यह पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मामला है, इस अबिलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर दो घंटे की चर्चा कराई जाये ।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, आज देश संकट में है । पूरा प्रदेश आज सूखे से पीड़ित है और दूसरी तरफ सरकार रिकवरीज करवा रही है । मान्यवर, जनपद मथुरा में नहरों का पानी टेल पर नहीं पहुंच रहा है । बिजली के नाम पर बड़ी भारी शून्यता है, यह सरकार अपने कानों में तेल डाले बैठी है । किसान भारी परेशानी से गुजर रहा है । मान्यवर, मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आपसे प्रार्थना और विनती करता हूं कि इस पर एक दिन की चर्चा कराई जाये । सारी रिकवरीज और ड्यूज जो हैं, उनको रोककर किसानों की सहायता प्रदान की जाये । यह घोषणा आज सदन में कराई जाए ।

*श्री बलराम यादव-

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय पर मैनें आपको सूचना दी है वह यह है कि यह पूरा प्रदेश सूखे से जल रहा है । इस तात्कालिक विषय पर मैं यह समझता हूं कि इसको स्वीकार करके इस पर तुरन्त चर्चा करायेंगे और सरकार द्वारा राहत की घोषणा होगी । हमारा जिला आजमगढ़ शारदा सहायक से सिंचित है और टैल पर है जिले की पूरी खरीफ की फसल को एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है । जो राजकीय ट्यूबबेल हैं वह 4-5 घंटे से अधिक नहीं चल पा रहे हैं । जब इन चीजों की शिकायत हम जिले में अधिकारियों से करना चाहते हैं तो पता चलता है कि वह स्थानान्तरण करवाने या रुकवाने के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्रियों के दफ्तरों में बैठें हुए हैं । इस तात्कालिक और महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें । आज सबसे बुरी हालत खेतिहर मजदूरों की हो गई है । मजदूर खेती का कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे और अपना पेट पालते थे, लेकिन सूखे के कारण खेती के कार्य ठप हो जाने से उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। इसलिये सरकार को तत्काल राहत कार्य, टेस्ट वर्क शुरू करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

*श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् आज सारा प्रदेश सूखे के भयंकर चपेट में है । पशु भूखे मर रहे हैं देहात और शहर में एक किलो भूसा नहीं मिल रहा है जानवर बीमार होकर मर रहे हैं । जो छोटे कास्तकार हैं, उनके पास खाने के लिये गल्ला नहीं है और जो खेतिहर मजदूर हैं उनको खेतों पर काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं ।बच्चों को पौष्टिक आहार न मिलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं जल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि हैंड पम्पों और कुओं में पानी सुलभ नहीं हो पा रहा है। नहरें भी पूरी क्षमता से पानी नहीं दे रहीं हैं जिससे सूखे की स्थिति और भी भयंकर हो गयी है । सरकार ने सूखा राहत के नाम पर कोई घोषणा नहीं की है । जो घोषणायें की गई हैं वह पुराने बजट में जो प्राविधान किया गया था उसी के तहत घोषणा की गई है । पी0एल0ए0 या और किसी फंड से राहत देने की घोषणा नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिलवाया जाय और वक्तव्य के साथ-साथ यह भी मांग करता हूं कि इस गंभीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ताकि इस गहन समस्या पर हम लोग अपने विचार प्रकट कर सकें ।

श्री अखिलेश-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि का व्यवसाय पहले से ही घाटे का व्यवसाय रहा है । वर्तमान समय में सूखे की स्थिति ने किसानों की कमर तोड़ दी है । कल भारत सरकार के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश सूखे की भयंकर चपेट में है । उन्होने भारत सरकार के सर्वोच्च सदन में स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज सूखे से प्रभावित हुए हैं । धान की फसल की क्या स्थिति होगी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं ।मान्यवर, हम महराजगंज जनपद से चुनकर इस विधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । हमारे यहां सिद्धार्थनगर, महराजगंज में पानी के अभाव के कारण धान की फसल नष्ट हो रही है, जब कि हमारे यहां धान का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है । सूखे के समय धान को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, अतः धान के उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मेरी आपसे विनती है कि इस विषय पर एक दिन की चर्चा कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(व्यवधान के मध्य) श्रीमन्, हमारे यहां सूखे के कारण किसान तबाह हो रहा है ।

(श्री जागेश्वर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जागेश्वर जी कृपया स्थान ग्रहण करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, धान की फसल नष्ट हो चुकी है । मैंने सूखे के सवाल पर जो नियम-56 में दिया है, उस पर बोलना चाहता हूं । श्रीमन् किसी भी कार्यस्थगन प्रस्ताव के लिये तीन शर्तें होती हैं । श्रीमन् एक तो जो विषय हो, अविलम्वनीय हो, और निश्चित घटना घटी हो । श्रीमन् जो सूखे के सवाल पर हमने सूचना दी है, वह इसलिये अविलम्बनीय है कि वर्तमान समय में सूखे के कारण प्रदेश की जनता तबाह है । निश्चित इस लिये है कि सारा सदन पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इस बार भयंकर सूखा पड़ा है ।

सारी जनता, आप, पूरा प्रदेश, पूरा सदन और सभी सदस्य जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों के बाद इतना भयंकर सूखा पड़ा है, इसलिये एक निश्चित विषय है, इसलिये नियम 56 के योग्य है । अविलम्बनीय इसलिये है कि पूरे प्रदेश में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के ग्राम-संवरा, गोपालपुर, नगला ब्लाक के ग्राम सवार ऐसे सैकड़ों गांवों में मैं स्वयं गया था । वहां पर कुओं का पानी सूख गया है । हैण्ड पम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया है । हमने जिला प्रशासन से उन गांवों में टैंकर से पानी देने के लिये कहा, लेकिन पानी नहीं पहुंचा । लोग प्यास से मर रहे हैं । इसलिये यह तात्कालिक और अविलम्बनीय है । इसलिये कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में हमारा प्रस्ताव मानने योग्य है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के सामने इससे बड़ा और कोई मुद्दा है ही नहीं, जो हम किसी दूसरी कार्यवाही के लिये यहां बैठें । विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि आते हैं। जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं को यहां हम व्यक्त करते हैं। इस समय प्रदेश की जनता सूखे से त्राहि-त्राहि कर रही है। लोग मर रहे हैं । पशु मर रहे हैं । हम यहां दूसरा कार्य करें, जनता ने इसलिये हमको वोट नहीं दिया । मैं कहना चाहता हूं कि इस अविम्बनीय, तात्कालिक और निश्चित विषय पर सदन में तत्काल चर्चा करावें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय इस समय और कोई नहीं है ।

डा0 बृजभान यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोगों से स्पष्ट रूप से पूछा जाय कि यहां सभी लोग किसानों के घरों से आये हैं, सभी का पेशा किसानी है । पूरा प्रदेश किसानों पर आधारित है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिनों तक बरसात न हो तो सत्तापक्ष के लोग महसूस करेंगे कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

(व्यवधान के मध्य)

अगर सूखाग्रस्त इनको महसूस हो रहा है, अगर राहत के नाम पर इनसे पूछा जाय कि आपने क्या किया है, तो हजारों सहूलियतें गिनवा देंगे, लेकिन क्या वजह है कि सूखाग्रस्त नहीं घोषित कर रहे हैं कितने दिनों तक बरसात और न हो, तब सरकार प्रदेश को सूखा-ग्रस्त घोषित करेगी ? इतने समय के लिये कार्यवाही स्थगित करके इस पर विचार किया जाय ।

*श्री अमरेश चन्द्र-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता खेती का काम करती है। इसके बावजूद भी इस महासूखे में सरकार ने अब तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं, जनपद मऊ का नत्थूपर विधान सभा क्षेत्र जहां पर सूखा और घाघरा नदी के भीषण कटान से किसान परेशान हो गये । इसके बावजूद भी तहसील द्वारा किसानों से कर्जे वसूल करने की धृष्टता की जा रही है। कृपया मेरा अनुरोध है कि वसूली कार्य रोका जाय । जनपद मऊ को सूखा-ग्रस्त घोषित किया जाय और सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल-

श्रीमन्, इस विषय पर बड़े विस्तार में आपके कक्ष में वार्ता हुई थी, आपने कहा था कि ग्राह्यता के बारे में सुनेंगे और उसके बाद निश्चय यह हुआ कि एक दिन पूरा दिन इस सूखे के ऊपर चर्चा के लिये निश्चित किया जायेगा । इसलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा के लिये एक दिन पूरा रखा जाय।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)-

इस वर्ष प्रदेश में मानसून बिलम्ब से आने के कारण और अपेक्षाकृत वर्षा कम होने के कारण पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस वर्ष केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री ने भी जैसी चिन्ता व्यक्त की है, पूरे उत्तर भारत में अवर्षण से विकट समस्या उत्पन्न हो गई है । मैं आभारी हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । वैसे हमारी सरकार इस दिशा में पहले से ही न केवल चिन्तित है, अपितु सचेष्ट सक्रिय और इस समस्या से निपटने के लिये पूरी तरह से प्रयासरत है । हमारी सरकार की मंशा स्वयं यह है कि हम प्रदेश की सूखे की स्थिति और उससे निपटने के लिये उठाये गये कदमों तथा राहत कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को दें । इस समस्या से निपटने के लिये पक्ष और विपक्ष दोनों ही से मिलकर चलना है और समस्या का समाधान करना है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

सूखे से निपटने के लिये इस सरकार ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है । और नई दिशा खोजी है। अभी तक की सरकारें सूखे के निर्धारण के लिये मात्र वर्षा के उपलब्ध आंकड़ों पर ही आधारित रहती थीं, किन्तु हमारी सरकार का यह दृढ़ मत है कि वर्षा के आंकड़े ही अवर्षण की स्थिति दर्शाने में सक्षम नहीं हैं । हमने तो पूरे प्रदेश में यह निर्देश दिये हैं कि यदि बुआई के बाद भी फसल की कोपल सूखी है तो सूखे जैसी स्थिति मानी जायेगी और इस स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये उस जिले में कितने क्षेत्र की जुताई, कितने क्षेत्र की बुआई, कितने क्षेत्र की रुपाई हुई है, और फसल बोने के बाद बचाई जा सकी है । यह व्यावहारिक आधार माना गया है।

सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये जहां पिछली सरकार वर्षा की मासिक समीक्षा करती थी, वहीं हमारी वर्तमान सरकार साप्ताहिक समीक्षा कर रही है । एक माननीय सदस्य ने पेयजल संकट की बात कही, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में पेयजल की कठिनाई को दूर करने के लिये प्रथम चरण में हमने 7 करोड़ 6 लाख रुपये हैंड पम्प लगाने के लिये दिया है । और द्वितीय चरण में पुनः पेयजल की समस्या से ग्रस्त जनपदों को 3 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी गई है । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस राहत निधि से प्रदेश में 705 हैण्ड पम्प लगाये भी जा चुके हैं, और युद्धस्तर पर इस कार्य को जारी रखने के कड़े निर्देश दे दिये गये हैं । सिंचाई के संशाधन में नहरों और नलकूपों को पूरी सक्षमता से चलाया जायेगा और विद्युत की अधिक से अधिक उपलब्धता बनाये रखने और निजी नलकूपों व पम्पिंग सेटों के लिये विद्युत और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विभागीय अधिकारियों को जहां कड़े निर्देश दिये गये हैं वहीं प्रदेश के 24 हजार प्रतीक्षारत प्राइवेट नलकूपों को अबिलम्ब ऊर्जीकृत करने हेतु 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है जिसमें से 10 करोड़ रुपये की धनराशि दे दी गई है । और 2 हजार नलकूपों को प्रतिमाह ऊर्जीकृत करने के लिये कड़े निर्देश दे दिये गये हैं ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अभी 31 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को युद्धस्तर पर सूखे से निपटने के और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पशुओं और मनुष्यों को होने वाली सम्भावित बीमारियों की रोकथाम आदि के कड़े निर्देश दिये गये हैं । जिन लोगो ने प्रदेश में राजस्व वसूली की शिकायत की है तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में कृषि देयों की वसूली की उत्पीड़न कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) -

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरेन्द्र सिंह -

आपने कितने ट्यूबवेल लगवाये हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) -

मान्यवर, वसूली की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी -

मान्यवर, कोई स्पष्ट उदाहरण माननीय सदस्य देंगे तो उसे निश्चित रूप से दिखवा लिया जायेगा । मान्यवर, प्रदेश में किसी को भी पीने के पानी की कमी महसूस नहीं होने देंगे यह मेरा संकल्प है । साथ ही सिंचाई के लिये पूरे प्रदेश में पम्पिंगसेटों के लिये डीजल का किंचित भी अभाव नहीं होने दिया जायेगा इसके लिये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं । सिंचाई के लिये नलकूपों को 14 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है । खराब पड़े नलकूपों को तत्काल मरम्मत व ट्रान्सफार्मरों का रिप्लेशमेंट और रिपेयर के भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा -

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को सूखे की स्थिति जो प्रदेश में है, चिन्ता है । इसमें कोई बहस की बात नहीं है, मतभेद नहीं है । इस संकट का हम सब मिलकर सामना करेंगे । हमारे सामने आगे की पंक्ति में कुछ सम्मानित सदस्यगण बैठे हुए हैं जो सत्ता में शामिल रहे हैं उन्हें पता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो शासन क्या-क्या करता है । माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी बताया कि यह प्रभावी कार्यवाही की गई । सूखे का सामना करने के लिये हमने जिलाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) -

कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरेन्द्र सिंह -

यह बतायें कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करेंगे या नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) -

मान्यवर, यह सूखाग्रस्त प्रदेश को तत्काल यहां घोषित करें यह घोषणा करें कि वसूली स्थगित रहेगी अगर कोई वसूली करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाई की जायेगी नहीं तो मान्यवर, यह माना जायेगा कि यह चोरबाजारियों की सरकार है । कालाबाजार करने वालों की सरकार है । आप इसकी तत्काल घोषणा करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें तत्काल घोषणा की क्या बात है । आप लोग बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, प्रदेश को सूखा-ग्रस्त घोषित किया जाय, वसूली सारी रोकी जाये, किसानों के सभी लम्बित कनेक्शनों को तुरन्त जारी किया जाय, आवेदन पत्र जो दिये गये हैं विद्युत कनेक्शनों के उनको तत्काल कनेक्शन दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, जिलों में वसूली की कार्यवाही रोकी जाय, सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से कहने लगे कि प्रदेश को सूखाग्रस्त तत्काल घोषित किया जाय)

(श्री पूरन प्रकाश सदन के फ्लोर से कहने लगे कि जब माननीय मंत्री जी सूखे की स्थिति मान रहे हैं तो प्रदेश को सूखाग्रस्त क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं । कुछ माननीय सदस्य कहने लगे कि जनपद बांदा जनपद जालौन पूरी तरह से सूखे की चपेट में हैं, वहां राहत दी जाय) (अनेक सदस्य सदन के फ्लोर से बैठकर नारे लगाने लगे कि यह सरकार निकम्मी है । यह सरकार किसान विरोधी है । डंडीमारों की सरकार नहीं चलेगी - नहीं चलेगी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विरोध पक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे और नारे लगाते रहे - "प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करो" "जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है ")

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जायें । मैं इस पर चर्चा स्वीकार करता हूं । अब मैं मद संख्या-14 लेता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री राम प्यारे शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि " यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 31 जुलाई, 1991 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी । अब मैं मद संख्या-15 लेता हूं ।

नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2-8-1991 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री सुरेश प्रताप गांधी की प्रदेश के रासायनिक उर्वरकों की चोर बाजारी एवं दामों में वृद्धि हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना इस विषय पर श्री यदुनाथ सिंह श्री राम खिलाड़ी, श्री राजेन्द्र, श्री लालजी वर्मा की है, इसको इसके साथ वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री भरत की बलिया स्थित लोकनायक

जय प्रकाश नारायण जी के गांव को गंगा नदी की कटान से नष्ट होने से बचाने के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । शेष माननीय सदस्यों की सूचनाएं जिनके नाम सर्वश्री राम गोबिन्द चौधरी, स्वामी नाथ यादव, बलराम यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, अमरेश चन्द्र, हरेन्द्र सिंह है, अस्वीकार की जाती है ।

(व्यवधान के मध्य)

अब हम उठते हैं । दिनांक 6-8-1991 को 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 42 मिनट पर मंगलवार दिनांक 6 अगस्त, 1991 दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

2 अगस्त, 1991

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

पी0एस0यू0पी0-एल0160 विधान सभा-276-1991-813 (आफसेट)

उत्तर प्रदेश विधान सभा